

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(पैराग्राफ 1.1 में संदर्भित)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या-रूपरेखा

क्र.सं.	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्र	1,483 वर्ग किमी
2.	जनसंख्या	
	जनसंख्या 2014	1.79 करोड़
	जनसंख्या 2024	2.18 करोड़
3.	जनसंख्या घनत्व (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 01.03.2022 तक अनुमानित जनसंख्या) (अखिल भारतीय घनत्व = 426.09 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	14667.57 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4.	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बीपीएल) (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)	9.91 प्रतिशत
5.	साक्षरता दर (अखिल भारतीय औसत = 72.98 प्रतिशत)	86.21 प्रतिशत
6.	शिशु मृत्यु दर (2020) (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म)	12
7.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2016-20) (अखिल भारतीय औसत = 70 वर्ष)	75.8 वर्ष
8.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2023-24 वर्तमान मूल्यों पर	₹ 11,07,746 करोड़
9.	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ./स.घ.उ. सीएजीआर (2014-15 से 2023-24)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 7.27 प्रतिशत अखिल भारतीय 8.89 प्रतिशत
10.	स.रा.घ.उ./स.घ.उ. सीएजीआर (2014-15 से 2023-24)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 9.37 प्रतिशत अखिल भारतीय 10.06 प्रतिशत
11.	जनसंख्या वृद्धि (2014 से 2024)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 21.38 प्रतिशत अखिल भारतीय 11.26 प्रतिशत

स्रोत:

- क्षेत्र - वन सर्वेक्षण रिपोर्ट (2021)
- जनसं. - भारत और राज्यों के लिए जनसं. अनुमान 2011-2036 (जन सं. अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, जुलाई, 2020)
राष्ट्रीय जनसं. आयोग, एम ओ एच एफ डब्ल्यू द्वारा
- साक्षरता दर - जनगणना 2011
- आईएमआर - एसआरएस बुलेटिन (2020)
- गरीबी बीपीएल - एम ओ एस पी आई
- जीवन प्रत्याशा - एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन सारणी (2016-20)

परिशिष्ट 1.2

(पैराग्राफ 1.3.1 में संदर्भित)

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भाग (क) प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	47,136	41,864	49,313	62,703	56,798
(i) राजस्व कर	36,566	29,425	40,019	47,363	53,681
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	19,465	15,676	22,263	27,324	31,571
कृषि आय पर कर	0	0	0	0	0
विक्रय, व्यापार आदि पर कर.	5,475	4,411	5,099	5,582	6,552
राज्य उत्पाद शुल्क	5,068	4,108	5,488	5,548	5,164
वाहनों पर कर	1,948	1,676	1,956	2,884	3,242
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	4,606	3,549	5,212	6,023	7,152
भू-राजस्व	3	4	0	0	0
अन्य कर	1	1	1	2	0
(ii) गैर-कर राजस्व	1,097	980	827	581	1,024
(iii) संधीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा	0	0	0	0	0
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	9,473	11,459	8,467	14,759	2,093
2. विविध पूंजी प्राप्तियां	0	0	0	0	0
3. ऋण और अग्रिम राशि की वसूली	823	631	623	1,258	98
4. कुल राजस्व (1+2+3)	47,959	42,495	49,936	63,961	56,896
5. लोक ऋण प्राप्तियां	4,765	15,365	11,193	3,251	0
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	0	0	0	0	0
अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेनदेन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	4,765	15,365	11,193	3,251	0
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	52,724	57,860	61,129	67,212	56,896
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	143	79	74	52	7
8. लोक लेखा प्राप्तियां	0	0	0	0	0
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	52,867	57,939	61,203	67,264	56,903
भाग (ख) व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	7,083	6,295	6,953	7,322	7,162
सामाजिक सेवाएं	22,145	22,693	26,294	27,177	28,182
आर्थिक सेवाएं	6,530	8,514	9,328	9,423	9,773
सहायता अनुदान और अंशदान	3,879	2,912	3,468	4,324	5,219
11. पूंजीगत व्यय	5,472	4,699	8,311	8,065	6,855
सामान्य सेवाएं	389	246	374	625	469
सामाजिक सेवाएं	3,572	2,669	5,062	4,566	2,678
आर्थिक सेवाएं	1,511	1,784	2,875	2,874	3,708

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
12. ऋण और अग्रिम का संवितरण	3,266	4,090	2,603	3,084	3,639
13. कुल व्यय (10+11+12)	48,375	49,203	56,957	59,395	60,830
14. लोक ऋण का पुर्नभुगतान	2,811	3,265	4,215	4,715	4,994
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	0	0	0	0	0
अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम राशि का पुर्नभुगतान	2,811	3,265	4,215	4,715	4,994
15. आकस्मिकता निधि के लिए विनियोजन	0	0	0	0	0
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	51,186	52,468	61,172	64,110	65,824
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	143	79	74	52	7
18. लोक लेखा संवितरण	0	0	0	0	0
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	51,329	52,547	61,246	64,162	65,831
भाग (ग) घाटा					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व अधिशेष (+)(1-10)	7,499	1,450	3,270	14,457	6,462
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय अधिशेष(+)(4-13)	-416	-6,708	-7,021	4,566	-3,934
22. प्राथमिक घाटा(-)/प्राथमिक अधिशेष(+)(21+23)	2,336	-3,834	-3,747	7,832	-840
भाग (घ) अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,752	2,874	3,274	3,266	3,094
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	16,233	16,643	16,118	18,225	20,686
25. अर्थोपाय/अग्रिम ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाया (दिवस)	0	0	0	0	0
अर्थोपाय अग्रिम का लाभ उठाया (दिवस)	0	0	0	0	0
ओवरड्राफ्ट का लाभ (दिवस)	0	0	0	0	0
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0	0	0	0	0
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	7,92,911	7,44,277	8,81,336	10,14,688	11,07,746
28. बकाया राजकोषीय देनदारियाँ	34,767	46,867*	53,844*	52,380	47,387
29. बकाया गारंटी (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	0	0	0	0	0
30. अधिकतम गारंटीकृत राशि (वर्ष के अंत में)	0	0	0	0	0
भाग ड: राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं कर राजस्व/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	4.61	3.95	4.54	4.67	4.85

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
स्वयं का गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	0.14	0.13	0.09	0.06	0.09
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	6.10	6.61	6.46	5.85	5.49
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	102.63	117.53	115.50	94.72	107.10
राजस्व व्यय/कुल व्यय	81.94	82.14	80.84	81.23	82.75
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/ कुल व्यय	53.16	51.55	55.05	53.44	50.73
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	16.62	20.93	21.42	20.70	22.16
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	11.31	9.55	14.59	13.58	11.27
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	10.51	9.05	13.94	12.53	10.50
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	0.95	0.19	0.37	1.42	0.58
राजकोषीय घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	-0.05	-0.90	-0.80	0.45	-0.36
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	0.29	-0.52	-0.43	0.77	-0.08
IV राजकोषीय देनदारियों का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	4.38	5.51**	4.74**	3.97**	3.19**
राजकोषीय देयताएं/रा.प्रा.	73.76	97.94**	84.74**	64.31**	62.20**
प्राथमिक घाटा की तुलना में क्वांटम स्प्रेड	-883.35	62.09	-58.41	166.48	-59.64
ऋण मुक्ति (मूलधन + ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	116.72	39.95	66.92	245.52	परिभाषित नहीं
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
निवेश पर प्रतिफल	0.08	0.05	0.43	0.49	0.82

नोट- आंकड़ों को निकटतम पूर्णांक में लिया गया है।

*वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रभावी बकाया राजकोषीय देयताएं क्रमशः ₹ 41,002 करोड़, ₹ 41,786 करोड़, ₹ 40,322 करोड़ और ₹ 35,329 करोड़ होंगी, क्योंकि ऋण प्राप्तियों के तहत राज्य बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 5,865 करोड़ (2020-21) और ₹ 6,193 करोड़ (2021-22) के जीएसटी मुआवजे को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण नहीं माना जाएगा।

** कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ (2020-21) एवं ₹ 6,193 करोड़ (2021-22) के जीएसटी मुआवजे के बहिष्करण के बाद आया।

परिशिष्ट 2.1

(पैराग्राफ 2.3.2.2 में संदर्भित)

वर्ष 2023-24 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वास्तविक स्वयं कर राजस्व की तुलना में

बी.ई./आर.ई.

राजस्व शीर्ष	बीई (प्राप्ति बजट 2023-24 के अनुसार) (₹ करोड़ में)	आरई (प्राप्ति बजट 2024-25 के अनुसार) (₹ करोड़ में)	वास्तविक आंकड़े (₹ करोड़ में)	बी.ई. और वास्तविक आंकड़े के बीच अंतर (₹ करोड़ में)	आरई और वास्तविक आंकड़े के बीच अंतर (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता की तुलना में बीई (+) आधिक्य (-) कमी	प्रतिशतता की तुलना में आरई (+) आधिक्य (-) कमी
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	31,500	32,200	31,571	71	(-)629	0.23	(-) 1.95
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,700	6,600	6,552	852	(-) 48	14.93	(-) 0.74
राज्य उत्पाद शुल्क	7,365	6,000	5,164	(-) 2,201	(-) 836	(-) 29.88	(-) 13.93
वाहनों पर कर	3,000	3,300	3,242	242	(-) 58	8.07	(-) 1.76
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	5,997	7,100	7,152	1,155	52	19.26	0.73
भू-राजस्व	3	0	0	(-) 3	0	(-) 100	0
अन्य कर	0	1	0	0	(-) 1	0	(-) 100
कुल	53,565	55,201	53,681	116	(-) 1,520	(-) 0.22	(-) 2.75

परिशिष्ट 3.1
(पैराग्राफ 3.2.1 में संदर्भित)
मूल और स्वीकृत बजट के संबंध में राजस्व आउटटर्न का विचलन

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान (बीई)	अनुपूरक अनुदान	कुल स्वीकृत बजट	कुल व्यय	आउटटर्न और बीई में विचलन	प्रतिशतता	स्वीकृत बजट और आउटटर्न में विचलन	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) [2-5]	(7) [(6)/(2)*100]	(8) [4-5]	(9) [(8)/(4)*100]
1- विधान सभा	61.76	0.05	61.81	31.48	30.27	49.02	30.33	49.06
2- सामान्य प्रशासन	1,181.25	0.2	1,181.45	260.6	920.64	77.94	920.85	77.94
3- न्याय प्रशासन	2,415.41	143.09	2,558.5	2,115.5	299.9	12.42	443	17.31
4- वित्त	384.63	0.29	384.92	248	136.63	35.52	136.92	35.57
5- गृह	1,075.2	23.54	1,098.74	936.21	138.99	12.93	162.53	14.79
6- शिक्षा	15,400.7	5.66	15,406.36	14,102.03	1298.67	8.43	1,304.33	8.47
7- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,553.33	3.81	7,557.14	6,566.88	986.45	13.06	990.26	13.1
8- समाज कल्याण	9,257.2	556.53	9,813.73	8,772.59	484.61	5.23	1,041.14	10.61
9- उद्योग	505.37	6.12	511.49	255.51	249.87	49.44	255.98	50.05
10- विकास	3,848.61	212.5	4,061.11	3,643.29	205.33	5.34	417.82	10.29
11- शहरी विकास और लोक निर्माण कार्य	12,330.33	692.62	13,022.95	11,063.8	1266.54	10.27	1,959.15	15.04
12- ऋण	0	0	0	0	0	-	0	-
13- पेंशन रा.रा.क्षे.दि.स.	3	0	3	3.68	-0.68	-22.68	-0.68	-22.68
14- आकस्मिकता निधि हेतु विनियोजन	0	0	0	0	0	-	0	-
15- लोक ऋण	3,094.32	0	3,094.32	3,094.31	0.01	0	0.01	0
कुल	57,111.11	1,644.41	58,755.52	51,093.88	6,017.23	10.54	7,661.64	13.04

परिशिष्ट 3.2

(पैराग्राफ 3.2.1 में संदर्भित)

मूल और स्वीकृत बजट के संबंध में पूंजीगत आउटटर्न का विचलन

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान (बीई)	अनुपूरक अनुदान	कुल स्वीकृत बजट	कुल व्यय	आउटटर्न और बीई में विचलन	प्रतिशतता	स्वीकृत बजट और आउटटर्न में विचलन	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) [2-5]	(7) [(6)/(2)*100]	(8) [4-5]	(9) [(8)/(4)*100]
1- विधान सभा	27.56	0.01	27.57	0.29	27.26	98.94	27.28	98.94
2- सामान्य प्रशासन	17.08	0.13	17.21	5.47	11.61	67.99	11.74	68.23
3- न्याय प्रशासन	165.79	33.65	199.44	27.96	137.83	83.14	171.48	85.98
4- वित्त	573.92	0.15	574.07	34.8	539.13	93.94	539.27	93.94
5- गृह	272.96	0.09	273.05	108.01	164.96	60.43	165.04	60.44
6- शिक्षा	521.76	0.06	521.82	82.77	438.98	84.13	439.05	84.14
7- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	235.21	0.2	235.41	109.16	126.06	53.59	126.25	53.63
8- समाज कल्याण	1,761.75	1,204.41	2,966.16	2,283.38	-521.63	-29.61	682.78	23.02
9- उद्योग	8.49	31.24	39.73	0.97	7.52	88.56	38.76	97.56
10- विकास	588.9	0.54	589.44	319.4	269.49	45.76	270.04	45.81
11- शहरी विकास और लोक निर्माण	12,601.68	75.53	12,677.21	7,530.75	5,070.93	40.24	5,146.46	40.6
12- ऋण	1.3	0	1.3	0.34	0.96	73.85	0.96	73.85
13- पेंशन रा.रा.क्षे.दि.स.	0	0	0	0	0	-	0	-
14- आकस्मिकता निधि हेतु विनियोजन	0	0	0	0	0	-	0	-
15- लोक ऋण	5,040.29	0.01	5,040.3	4,993.69	46.6	0.92	46.61	0.92
कुल	21,816.69	1,346.02	23,162.71	15,496.99	6,319.7	28.97	7,665.72	33.10

परिशिष्ट 3.3

(पैराग्राफ 3.3 में संदर्भित)

उन मामलों का विवरण जहां बचत के कारणों में भिन्नता देखी गई

क्रम सं.	अनुदान सं.	शीर्ष	₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत (₹ करोड़ में)	विनियोग खातों के अनुसार कारण	विभाग द्वारा दिए गए उत्तर (क्षेत्रीय दौर के दौरान)
1	11- शहरी विकास	2215.01.191.98	154.75	कॉलम 1 अतिरिक्त राशि मुख्य रूप से अधिक सहायता अनुदान जारी करने के कारण थी। कॉलम 4 की बचत मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त अनुचित प्रस्ताव के कारण हुई।	रखरखाव कार्य, अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति, उपभोग्य वस्तुओं की खरीद जो पूंजीगत व्यय का हिस्सा नहीं होंगे, सहित कई घटकों के कारण विभिन्न परियोजनाओं में परियोजना प्रदान करते समय लागत से अधिक मांग उत्पन्न हुई है।
2		2215.01.800.93	136.86	कॉलम 4 बचत मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त अनुचित प्रस्ताव के कारण हुई।	डीजेबी द्वारा दी जाने वाली मासिक औसत सब्सिडी के आधार पर धनराशि उपलब्ध कराई जाती है । इसलिए डीजेबी को औसत आधार पर सब्सिडी प्रदान की गई है, जिसके आउटटर्न स्वरूप 136.85 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
3		2215.02.191.88	298.75	कॉलम 1 बचत मुख्य रूप से कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई। कॉलम 4 बचत मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त अनुचित प्रस्ताव के कारण हुई।	रखरखाव कार्य, अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति, उपभोग्य वस्तुओं की खरीद जो पूंजीगत व्यय का हिस्सा नहीं होंगे, सहित कई घटकों के कारण विभिन्न परियोजनाओं में परियोजना प्रदान करते समय लागत से अधिक मांग उत्पन्न हुई है।
4		6215.02.191.85	125.00	कॉलम 1 अधिकता मुख्य रूप से अधिक ऋण एवं अग्रिम जारी	रखरखाव कार्य, अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति, उपभोग्य वस्तुओं की

क्रम सं.	अनुदान सं.	शीर्ष	₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत (₹ करोड़ में)	विनियोग खातों के अनुसार कारण	विभाग द्वारा दिए गए उत्तर (क्षेत्रीय दौर के दौरान)
				करने के लिए किए गए प्रावधान के कारण थी। कॉलम 4 बचत मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त अनुचित प्रस्ताव के कारण हुई।	खरीद जो पूंजीगत व्यय का हिस्सा नहीं होंगे, सहित कई घटकों के कारण विभिन्न परियोजनाओं में परियोजना प्रदान करते समय लागत से अधिक मांग उत्पन्न हुई है।
5		6215.02.191.83	122.49	कॉलम 1 अधिकता मुख्य रूप से अधिक ऋण एवं अग्रिम जारी करने के लिए किए गए प्रावधान के कारण थी। कॉलम 4 बचत मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त अनुचित प्रस्ताव के कारण हुई।	रखरखाव कार्य, अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति, उपभोग्य वस्तुओं की खरीद जो पूंजीगत व्यय का हिस्सा नहीं होंगे, सहित कई घटकों के कारण विभिन्न परियोजनाओं में परियोजना प्रदान करते समय लागत से अधिक मांग उत्पन्न हुई है।
6		6215.02.191.82	214.63	कॉलम 1 बचत मुख्य रूप से कम ऋण और अग्रिम जारी करने के कारण थी। कॉलम 4 बचत मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त अनुचित प्रस्ताव के कारण हुई।	रखरखाव कार्य अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति, उपभोग्य वस्तुओं की खरीद जो पूंजीगत व्यय का हिस्सा नहीं होंगे, सहित कई घटकों के कारण विभिन्न परियोजनाओं में परियोजना प्रदान करते समय लागत से अधिक मांग उत्पन्न हुई है।

परिशिष्ट 3.4

(पैराग्राफ 3.3.1 में संदर्भित)

ऐसे मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	कुल अनुदान में से बचत
राजस्व (दत्तमत)						
1.	अनुदान सं. 3- न्याय प्रशासन	1,870.90	142.92	2,013.82	1,629.37	384.45
2.	अनुदान सं. 5- गृह	1,074.55	22.19	1,096.74	935.46	161.28
3.	अनुदान सं. 6- शिक्षा	15,400.18	1.03	15,401.21	14,101.20	1,300.01
4.	अनुदान सं. 7- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,545.56	1.20	7,546.76	6,565.71	981.05
5.	अनुदान सं. 8- समाज कल्याण	9,257.14	550.37	9,807.51	8,769.65	1,037.86
6.	अनुदान सं. 10- विकास	3,848.40	212.50	4,060.90	3,643.28	417.62
7.	अनुदान सं. 11- यूडी और पीडब्ल्यूडी	12,330.29	692.61	13,022.90	11,063.79	1,959.11
	कुल	51,327.02	1,622.82	52,949.84	46,708.46	6,241.38
राजस्व (प्रभारित)						
8.	अनुदान सं. 7- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7.77	2.61	10.38	1.17	9.21
	कुल	7.77	2.61	10.38	1.17	9.21
	कुल योग	51,334.79	1,625.43	52,960.22	46,709.63	6,250.59

परिशिष्ट 3.5

(पैराग्राफ 3.3.2 में संदर्भित)

निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग, जहां अंतिम बचत ₹ 15 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्षक-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्षे.दि.स. के शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
1	अनुदान सं. 03-न्याय प्रशासन	20140010591 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश - पश्चिम जिला।	97.95	6.22	27.41	131.58	95.45	36.13	सक्षम प्राधिकारी से वित्तीय अनुमोदन की कम प्राप्ति, द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के भत्तों की बकाया राशि जारी न करना तथा दावों/बिलों की कम प्राप्ति।
2		20140010589 - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश - दक्षिण जिला।	86.81	54.82	7.44	149.07	106.75	42.32	द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग को बकाया राशि के सांवितरण के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होना , रिक्त पद तथा दावों/बिलों की कम प्राप्ति
3		20140010588 - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश - दक्षिण पूर्व जिला।	77.21	9.12	15.89	102.22	82.04	20.18	द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग को बकाया राशि के सांवितरण के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होना, 7 विधि शोधकर्ताओं की नियुक्ति न होना, प्रशिक्षण न होना तथा संविदा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्षक-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्षे.दि.स. के शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
									कर्मचारियों के अनुबंध का नवीनीकरण न होना,
4		20140010584 - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश - उत्तर पश्चिम जिला	90.15	0.82	16.18	107.15	87.59	19.56	द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के बकाया भुगतान के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन न मिलना, विधि अनुसंधानकर्ताओं एवं संविदा कर्मियों की नियुक्ति न होना।
5		20140010583 - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश - दक्षिण पश्चिम जिला	129.95	9.04	4.72	143.71	118.19	25.52	कुछ न्यायिक अधिकारियों को द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के बकाया का सांवितरण न किया जाना, द्वारका स्थित वाणिज्यिक न्यायालय के विधि शोधकर्ताओं को भुगतान करने हेतु मंजूरी प्राप्त न होना।
6		22350180092 0 अपराध पीड़ितों के लिए मुआवज़ा	104.65	0.01	0.43	105.09	80.06	25.03	वित्तीय वर्ष के अंत में जीआईए की चौथी किस्त ₹15.44 करोड़ प्राप्त हुई तथा पीड़ित मुआवज़ा बैंक द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्षक-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्षे.दि.स. के शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
7	अनुदान सं. 6 - शिक्षा	22020210994 - +2 स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान का प्रारंभ	108	0.01	1.11	109.12	69.3	39.82	शिक्षा निदेशालय के शिक्षकों द्वारा खरीदे गए टैबलेट की प्रतिपूर्ति की अनुमति आज तक प्राप्त नहीं हुई है।
8	अनुदान सं. 7- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22100111090 - सरकारी औषधालय	239.15	0.02	11.96	251.13	220.42	30.72	रिक्त पद, बकाया बिलों का अंतिम रूप न दिया जाना तथा कम बिलों/दावों की प्राप्ति।
9		22100111014 - जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल सोसाइटी को सहायता अनुदान	50	0.02	7.98	58	36.48	21.52	वित्त विभाग द्वारा ₹ 21.52 करोड़ पिछले वर्ष के प्रति समायोजन कर दिए जाने के कारण इसे जारी नहीं किया जा सका।
10		22100180039 - स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	185.06	0.03	14.38	199.47	181.5	17.97	पूँजीगत परियोजना के लिए बजट आबंटन पूरी तरह से खर्च नहीं किया गया क्योंकि कुछ परियोजनाएं अभी भी पूरी होने के चरण में हैं तथा कुछ बिल देरी से प्राप्त हुए थे।
11		22100111067 - डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल	256.89	0.04	3.59	260.52	242.22	18.30	रिक्त पद तथा कर्मचारियों एवं विक्रेताओं द्वारा बिल प्रस्तुत न करना।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्षक-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्षे.दि.स. के शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
12	अनुदान सं. 8-समाज कल्याण	22350210217 98 - आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी सेवा योजना- आंगनवाड़ी सेवा सामान्य (केंद्र प्रायोजित)	89.50	0.01	1.49	91	53.5	37.50	भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कम धनराशि जारी की।
13		22350210215 98 - आंगनवाड़ी सेवा योजना- आंगनवाड़ी सेवा सामान्य (राज्य का हिस्सा)	211.17	0.01	9.82	221	200	21.00	यह व्यय पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की अव्ययित शेष राशि से किया गया था।
14		30550019096 - क्लस्टर बसों के घाटे की पूर्ति हेतु मुआवजा	1250.00	156.09	11.91	1418	1250.00	168.00	डीआईएमटीएस द्वारा बिल देर से जमा करना।
15		30550019089 - एमआरटीएस को अन्य अनुदान	1.00	0.01	198.99	200	0	200.00	फाइल रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के पास प्रस्तुत थी।
16		30756080078 - बाहरी सहायता पर विदेशी मुद्रा भिन्नता को साझा करने के लिए डीएमआरसी को अनुदान	0.00	0.01	99.99	100	0	100.00	प्रस्ताव दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
17	अनुदान सं. 10-विकास	24060410399- राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि (एससीएफ) से वित्तपोषित प्रतिपूरक वनरोपण	25.67	0.01	15.41	41.09	7.78	33.31	वार्षिक परिचालन योजना की स्वीकृति में देरी के कारण पौधारोपण नहीं किया जा सका, भूमि का दाखिल खारिज न होने के कारण तथा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्षक-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्षे.दि.स. के शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
									पूर्ण किए गए कार्य से संबंधित भुगतान जारी न किए जाने के कारण निविदाएं संसाधित नहीं की गईं।
18	अनुदान सं. 11- शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी	22150119198 - अनाधिकृत कॉलोनियों में जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	240.00	0.02	66.52	306.54	151.79	154.75	दिल्ली जल बोर्ड से अनुपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त हुआ।
कुल			3,243.16	236.31	515.22	3,994.69	2,983.07	1,011.62	
पूँजिगत (दत्तमत)									
19	अनुदान सं. 11- शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी	62150119178 - मौजूदा जल कार्यों के सुधार के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	250.00	0.01	6.99	257.00	185.62	71.38	जियो-टैगिंग के अभाव में शेष राशि का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
20		62150119176 - दिल्ली जल बोर्ड को मीटरिंग और रिसाव प्रबंधन के लिए ऋण	30.00	0.01	30.99	61.00	24.62	36.38	जियो-टैगिंग के अभाव में शेष राशि का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
21		62150119175 - शहरी क्षेत्रों में बरसाती कुआं और ट्यूबवेल के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	100.00	0.01	26.99	127.00	61.94	65.06	जियो-टैगिंग के अभाव में शेष राशि का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
22		62150119174 - स्टाफ क्वार्टर और कार्यालय	20.00	0.02	9.98	30.00	12.99	17.01	जियो-टैगिंग के अभाव में शेष राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्षक-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्षे.दि.स. के शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
		आवास के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण							का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
23		50540410192 - एलिवेटेड कॉरिडोर बारापुल्ला नाला फेज-III का निर्माण	100.00	0.01	21.99	122.00	95.92	26.08	पेड़ काटने की अनुमति न मिलने तथा भूमि अधिग्रहण की धीमी गति के कारण कार्य की प्रगति में विलम्ब हुआ।
कुल			500.00	0.06	96.94	597.00	381.09	215.91	
कुल योग			3,743.16	236.37	612.16	4,591.69	3,364.16	1,227.53	

परिशिष्ट 3.6

(पैराग्राफ 3.3.3 में संदर्भित)

वर्ष 2023-24 के दौरान बड़ी बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत)

वाले अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	कुल अनुदान में से बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण के पश्चात् बचत
राजस्व (दत्तमत)								
1	अनुदान सं. 2- सामान्य प्रशासन	1,151.79	0.11	1,151.90	239.27	912.63 (79.23%)	879.75	32.88
2	अनुदान सं. 6 शिक्षा	15,400.18	1.03	15,401.21	14,101.20	1,300.01 (8.44%)	343.67	956.34
3	अनुदान सं. 7- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	7,545.55	1.20	7,546.75	6,565.70	981.05 (13%)	136.46	844.59
4	अनुदान सं. 8- समाज कल्याण	9,257.14	550.37	9,807.51	8,769.65	1,037.86 (10.58%)	0.18	1,037.68
5	अनुदान सं. 11- यूडी और पीडब्ल्यूडी	12,330.29	692.61	13,022.90	11,063.80	1,959.10 (15.04%)	453.62	1,505.48
	कुल	45,684.95	1,245.32	46,930.27	40,739.62	6,190.65	1,813.68	4,376.97
पूंजीगत (दत्तमत)								
6	अनुदान सं. 4- वित्त	573.93	0.15	574.08	34.80	539.28 (93.94%)	528.57	10.71
7	अनुदान सं. 11- यूडी और पीडब्ल्यूडी	12,551.68	0.53	12,552.21	7,405.78	5,146.43 (41%)	3,187.42	1,959.01
	कुल	13,125.61	0.68	13,126.29	7,440.58	5,685.71	3,715.99	1,969.72
	कुल योग	58,810.56	1,246.00	60,056.56	48,180.20	11,876.36	5,529.67	6,346.69

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिशिष्ट 3.7

(पैराग्राफ 3.3.3 में संदर्भित)

मार्च 2024 के अंत तक ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत जो व्यपगत हो गई, उसका

विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक सं. अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्यपगत
राजस्व (दत्तमत)								
1	अनुदान सं. 2- सामान्य प्रशासन	1,151.80	0.11	1,151.91	239.27	912.64	879.76	32.88
बचत के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ बिलों/दावों की कम प्राप्ति, कोई विदेशी यात्रा/दौरे नहीं होना, सामग्री और आपूर्ति की कम खरीद, सरकार/मनोनीत परिषदों से कम कानूनी बिलों की प्राप्ति, विक्रेताओं द्वारा बिल जमा नहीं कराना, रिक्त पद, कर्मचारियों का स्थानांतरण, व्यक्तिगत दावों की प्राप्ति नहीं होना, अनुमोदन न मिलने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों के व्यावसायिक बिलों का भुगतान संसाधित नहीं होना, किराए, दरों और दौरा बिलों के संबंध में बकाया राशि का निपटान न होना, कार्य पूरा न होना, कम परीक्षा आयोजित होना, सीवीडी की सेवाएं बंद करना, एनआईसीएसआई द्वारा बिल प्रस्तुत न करना आदि के कारण बचत हुई।								
बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम दावों, बिलों की प्राप्ति न होना, रिक्त पद, देयताओं की कमी, कम प्रशिक्षण और परीक्षा, भारत सरकार से धनराशि की प्राप्ति न होना (₹ 284.44 करोड़) आदि को जिम्मेदार ठहराया गया।								
2	अनुदान सं. 4 - वित्त	384.63	0.18	384.81	248.00	136.81	94.80	42.01
बचत के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पदों, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने, ई-आबकारी के प्रस्तावों का परिपक्व न होना, सरकारी वकीलों के दावों को अंतिम रूप न दिए जाने, खरीद के संबंध में एएंडईएस प्राप्त न किए जाने आदि के कारण बचत हुई।								
बचत अभ्यर्पण के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ कम दावे, बिलों की प्राप्ति न होना, रिक्त पद, कम मुद्रण एवं प्रकाशन, सरकारी वकीलों द्वारा कोई बिल प्रस्तुत न करना, योजनाओं को अंतिम रूप न देना आदि शामिल हैं।								
3	अनुदान सं. 5 - गृह	1,074.55	22.19	1,096.74	935.46	161.28	51.61	109.67
बचत के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ कार्य मुआवजा (₹ 53.32 करोड़) प्रदान करने की स्वीकृति न मिलने, वित्त विभाग की सहमति न मिलने और वित्त विभाग से तकनीकी मंजूरी न मिलने, सिविल डिफेंस वालंटियर्स को हटाने, दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रभाग द्वारा वेतन और भत्ते के बिल प्रस्तुत न करने, जेलों में तैनात फार्मासिस्टों/फार्मसी अधिकारियों का सामूहिक स्थानांतरण/तैनाती, प्रस्ताव/निविदाओं का क्रियान्वयन न होने आदि के कारण बचत हुई।								
बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पदों, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने आदि को जिम्मेदार ठहराया गया।								
4	अनुदान सं. 6 - शिक्षा	15,400.18	1.03	15,401.21	14,101.20	1,300.01	343.68	956.33

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक सं. अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्यपगत
बचत के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ वित्त विभाग द्वारा अव्ययित शेष राशि का पुनर्सत्यापन न करने, बिलों में पाई गई कमी के कारण भुगतान न करने, आम चुनाव (लोकसभा) 2024, योजना बंद होने, लाभार्थियों की कम सं., डीबीटी बिलों से संबंधित भुगतान को अंतिम रूप न देने, योजना का कार्यान्वयन न होने, दौरे के दौरान छात्रों की कम उपस्थिति, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के एमएसीपी/स्टेपिंग अप मामलों को अंतिम रूप न देने, रिक्त पद, शिक्षा निदेशालय के शिक्षकों द्वारा खरीदे गए टैबलेट की प्रतिपूर्ति की अनुमति न मिलने, पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि और एससीईआरटी की आय को इस वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग द्वारा समायोजित करने, केंद्र के हिस्से और संबंधित राज्य के अनिवार्य हिस्से का कम जारी किया जाना, भारत सरकार से सहायता अनुदान की दूसरी और बाद की किस्तों की प्राप्ति न होने, जीईएम पोर्टल का सक्रिय न होना, विश्वविद्यालय में पूंजीगत परियोजना/कार्य विचाराधीन होने आदि के कारण बचत हुई।								
बचत अभ्यर्पण के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पद, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम, कम मुद्रण एवं प्रकाशन कार्य, कम सहायता अनुदान, भारत सरकार से अनुदान जारी न होना, केन्द्रीय अंशदान के संदर्भ में आनुपातिक राज्य हिस्सा रखा जाना, प्रस्तावों का प्रक्रियाधीन होना, कम खरीद, अकादमी का संचालन न होना, डीटीसी बसों की किराये की राशि का भुगतान न होना, 'दिल्ली खेल विश्वविद्यालय' शुरू न होना, कम खरीद, कर्मचारियों द्वारा एलटीसी का लाभ न लिया जाना आदि शामिल हैं।								
5	अनुदान सं. 7 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,545.56	1.20	7,546.76	6,565.71	981.05	136.47	844.58
बचत के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ, राशि जारी नहीं किए जाने क्योंकि उसे वित्त विभाग द्वारा पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि के साथ समायोजित किया गया था, रिक्त पद, बकाया बिलों को अंतिम रूप न देना और कम बिलों और दावों की प्राप्ति, अपूर्ण कोडल औपचारिकताएं/बोली परामर्श, परियोजना के लिए आवंटित बजट पूरी तरह खर्च नहीं किया गया था और कुछ बिल देरी से प्राप्त हुए थे, सक्षम प्राधिकारी द्वारा बकाया भुगतान की स्वीकृति न मिलना, विभिन्न प्रशासनिक कारणों से बिलों को संसाधित नहीं किया जाना/स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाना, दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (सीएसएस अनुदान) की दूसरी किस्त का दावा नहीं किया, डीआईपी से बिल प्राप्त नहीं हुए, रेजिडेंट डॉक्टरों/संविदा कर्मचारियों का मूल्यांकन प्राप्त न होना, बकाया दावों की प्राप्ति न होना, विक्रेता द्वारा समय पर बिल जमा न करना, रिक्त पद, कुछ फर्मों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था जिसके कारण व्यय रुका रहा, एमसीडी को विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत सहायता अनुदान जारी न करना, विक्रेताओं द्वारा बिल जमा करने में देरी, आईपीडी/ओपीडी सेवाओं की दो वर्षों के बकाया भुगतान के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति न मिलना। आदि। के कारण बचत हुई।								
बचत अभ्यर्पण के कारणों में लोक नायक एवं राजीव गांधी अस्पताल में हीमोडायलिसिस सेवाओं का निलम्बन, निविदा प्रक्रियाधीन होना, निधियों की आवश्यकता न होना, रिक्त पद, कम बिलों/दावों की प्राप्ति और कम खरीद, कम सहायता अनुदान जारी होना, रिक्त पद, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वस्तु शीर्ष में परिवर्तन, कम मरम्मत एवं रखरखाव कार्य आदि शामिल हैं।								
6	अनुदान सं. 9 - उद्योग	505.34	0.13	505.47	249.69	255.78	140.62	115.16

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक सं. अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्यपगत
बचत और अभ्यर्पण के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पदों की सं., एमटीएस कर्मचारियों के लिए जीईएम निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने, एलटीसी/मेडिकल के लिए कम दावे प्राप्त होना, वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और अनुमान मंजूरी नहीं देना, प्रशासनिक कारणों से मेलों/ रोजगार मेले का आयोजन न करना, एमएसीपी बकाया और संशोधित वेतन निर्धारण न होना, मुख्यमंत्री घर - घर राशन योजना का क्रियान्वयन न होना, दावे की प्राप्ति न होना, मार्च 2024 के महीने के लिए मार्जिन मनी का भुगतान अगले वित्तीय में किया जाना आदि के कारण बचत हुई। बचत अभ्यर्पण के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए योजना को प्रस्तुत करना, भारत सरकार से कम धनराशि की प्राप्ति, केंद्रीय हिस्से के संदर्भ में आनुपातिक राज्य का हिस्सा रखा जाना, ऑक्सीजन नीति का विस्तार नहीं करना, योजना का क्रियान्वयन नहीं करना, योजना का प्रक्रियाधीन होना, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत होना, रिक्त पद, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट खाद्य वस्तु की मुफ्त आपूर्ति आदि के कारण बचत अभ्यर्पण हुआ।								
7	अनुदान सं. 10 - विकास	3,848.40	212.50	4,060.90	3,643.28	417.62	73.51	344.11
बचत के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पदों, 66 रिक्त पदों के प्रति रखी गई धनराशि, कर्मचारियों का स्थानांतरण, अगले वित्तीय वर्ष में आयोजित होने वाले लोकसभा-2024 के आम चुनाव, वेब कास्टिंग सेवा और वीडियोग्राफी/सीसीटीवी का भुगतान नहीं किया गया, सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी नहीं मिली, वास्तविक व्यय लोकसभा चुनाव के प्रारंभिक अनुमान से कम था, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को हटाया गया, छोटे सिविल और बिजली के कार्यों को मंजूरी नहीं मिली, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए धन की मांग की गई थी लेकिन आम चुनाव 25.05.2024 को हुए, पौधारोपण नहीं किया गया, भूमि का उत्परिवर्तन न होना, कोविड-19 अवधि के भुगतान का निपटान नहीं किया गया, सरकार द्वारा यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप न देना, केबल चोरी के कारण बिजली पर खर्च में कमी, चुनाव की आदर्श आचार संहिता के कारण आईटी से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी गई, दिल्ली पशु सलाहकार बोर्ड (डीएएबी) के बजट शीर्ष में परिवर्तन के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया, वर्ष के अंत में संशोधित अनुमानों में निधि की प्राप्ति आदि के कारण बचत हुई।								
बचत अभ्यर्पण के कारणों में रिक्त पद, कम दावे प्राप्त होना, लोकसभा चुनाव के लिए प्रावधान किए जाना, मुद्रण व्यय का लोकसभा बजट से होना, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवा समाप्त होना, मुआवजा वृद्धि का मामला न्यायालय में विचाराधीन होना, मामले का मंत्रिसमूह (जीओएम) के पास निर्णय हेतु लंबित होना, भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होना, कम सहायता अनुदान जारी होना, कम खरीद, कम मुद्रण एवं प्रकाशन, कम मरम्मत एवं रखरखाव कार्य, कम प्रशिक्षण व्यय, स्टाम्प शुल्क जुटाने के लिए कम कमीशन, धार्मिक क्रियाकलापों पर कम व्यय होना आदि शामिल हैं।								
8	अनुदान सं. 11 - यूडी और पीडब्ल्यूडी	12,330.29	692.61	13,022.90	11,063.79	1,959.11	453.63	1,505.48
बचत के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ, रिक्त पदों को नहीं भरा जाना और चिकित्सा व्यय का अनुमान नहीं लगाया जाना, एजेंसी द्वारा दावे प्रस्तुत नहीं किए जाना, दिल्ली जल बोर्ड से अनुचित प्रस्ताव प्राप्त होना, जियो टैगिंग के अभाव में शेष राशि का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना, नई परियोजनाओं की डीपीआर प्राप्त नहीं होना, अमृत सरोवर के साथ-साथ स्वैप-II (₹ 438.24 करोड़) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं किया जाना, मंत्रालय से कोई निधि प्राप्त नहीं होना, भारत सरकार से प्राप्त निधि के प्रति आनुपातिक राज्य हिस्सेदारी का उपयोग नहीं किया जाना, रिक्त पदों की सं., डब्ल्यूसी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, मार्च माह में अनुमानित बिलों की प्राप्ति न होना, कर्मचारियों का स्थानांतरण, वेतन शीर्ष के								

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक सं. अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्यपगत
संबंध में सेवा विभाग से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त न होना, समय पर बिलों की प्राप्ति न होना और मुद्रण एवं प्रकाशन से संबंधित कार्य विभाग द्वारा नहीं किया जाना, लोकसभा के आम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का कार्यान्वयन, शेष सब्सिडी जारी नहीं किया जाना, मार्च 2024 के पहले सप्ताह में जीआईए की तीसरी किस्त प्राप्त होने के आउटटर्न स्वरूप भुगतान की प्रक्रिया में देरी, ऊर्जा दक्षता/संरक्षण गतिविधियों पर कम व्यय, जीबीआई को कम धनराशि जारी किया जाना आदि के कारण बचत हुई। बचत अभ्यर्पण के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पद, बिलों की प्राप्ति न होना, कम खरीद, कम प्रशिक्षण व्यय और कोई विदेशी दौरा न होना, कम लाभार्थी, कम सहायता अनुदान जारी होना, योजना का क्रियान्वयन न होना, भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होना (₹ 738.76 करोड़), भारत सरकार से कम अनुदान जारी होना, अनुचित प्रस्ताव प्राप्त होना, कम मंजूरी प्राप्त होना, कम अध्ययन आयोजित किए जाना आदि शामिल हैं।								
	कुल	42,240.75	929.95	43,170.70	37,046.40	6,124.30	2,174.08	3,950.22
पूँजीगत (दत्तमत)								
9	अनुदान सं. 3 - न्याय प्रशासन	165.79	0.30	166.09	6.66	159.43	120.51	38.92
बचत और अभ्यर्पण के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ 6 इलेक्ट्रिक वाहनों का भुगतान न किए जाने और 31 वाहनों के संबंध में दिल्ली सरकार से कोई मंजूरी प्राप्त नहीं होने, वर्ष के अंत में राउज एवेन्यू न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए मदों के संबंध में मंजूरी प्राप्त नहीं होने और कंप्यूटर हार्डवेयर (₹ 30.57 करोड़) की खरीद के संबंध में दिल्ली सरकार से प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी प्राप्त नहीं होने, मशीनरी और उपकरणों की खरीद न करने, कड़कड़ूमा , राउज एवेन्यू न्यायालय, शास्त्री पार्क, न्यू उस्मानपुर पुलिस स्टेशन में अतिरिक्त न्यायालय के निर्माण के लिए कार्य आदेश न दिए जाने और डीटीटीडी से अंतिम बिल प्राप्त न होने के कारण बचत हुई।								
10	अनुदान सं. 4 - वित्त	573.93	0.15	574.08	34.80	539.28	528.57	10.71
बचत और अभ्यर्पण के कारण . अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न विविध वस्तुओं की खरीद के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय मंजूरी प्राप्त न होने के कारण बचत हुई। अभ्यर्पण के कारण . अन्य बातों के साथ-साथ ऋण एवं अग्रिम (₹ 500.00 करोड़) जारी न करने, पिछले वर्ष के अंतिम भुगतानों के लिए प्रावधान न रखने, प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति न प्राप्त करने आदि के कारण बचत हुई।								
11	अनुदान सं. 5 - गृह	272.96	0.09	273.05	108.01	165.04	128.99	36.05
बचत और अभ्यर्पण के कारण . अन्य बातों के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी से समय पर सहमति न मिलने, कम खरीद, आईटी उपकरण और फर्नीचर एवं फिक्सचर की खरीद के लिए कुछ निविदा प्रस्तावों को मूल रूप न देने के कारण बचत हुई। बचत और अभ्यर्पण के कारण अन्य बातों के साथ-साथ निविदाओं/प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, कम बिलों की प्राप्ति तथा निविदाओं के प्रक्रियाधीन होने (₹ 109.31 करोड़) आदि के कारण बचत हुई।								
12	अनुदान सं. 6 - शिक्षा	521.76	0.06	521.82	82.78	439.04	348.06	90.98

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक सं. अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्यपगत
बचत के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ योजना के तौर-तरीकों को अंतिम रूप न दिए जाने, कम्प्यूटरों की खरीद न होने (₹ 41.00 करोड़), कार्य की धीमी गति और आदर्श आचार संहिता के प्रतिबंध (₹ 118.62 करोड़) आदि के कारण बचत हुई। अभ्यर्पण के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरों की खरीद न होने, कार्य की धीमी गति, कार्य का प्रक्रियाधीन होना (₹ 121.86 करोड़), मशीनरी एवं उपकरण और आईसीटी की खरीद न होने, वेब किट की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने, भवन एवं संरचना कार्य को अंतिम रूप न दिए जाने आदि के कारण बचत हुई।								
13	अनुदान सं. 7 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	235.22	0.20	235.42	109.16	126.26	93.45	32.81
बचत के कारण : अन्य बातों के अलावा, प्रक्रियाधीन प्रस्तावों, केंद्रीय खरीद एजेंसी में अन्य विभागों से मांग प्राप्त न होने योजना के क्रियान्वयन में देरी हुई आदि के कारण बचत हुई। बचत अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ योजना के कार्यान्वयन में देरी, संसदीय चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता, कम बिलों की प्राप्ति और कम खरीद आदि को जिम्मेदार ठहराया गया।								
14	अनुदान सं. 10 - विकास	588.85	0.35	589.20	319.26	269.94	182.68	87.26
बचत और अभ्यर्पण के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने, आईएंडएफसी/एमसीडी द्वारा व्यय न किए जाने, ठेकेदारों द्वारा बिल प्रस्तुत न किए जाने, समय पर प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति प्राप्त न होने, कार्य प्रगति न होने, नोडल शाखा से कोई दावा प्राप्त न होने के कारण बचत हुई। बचत अभ्यर्पण के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने, कार्य की प्रगति के अनुसार प्रावधान रखे जाने, कुछ कार्य शुरू न किए जाने (₹ 129.70 करोड़), पिछले वर्ष की प्रतिबद्ध देनदारियां अभी भी लंबित होना, खेल गतिविधियों का संचालन न किया जाना, पूंजीगत कार्य शुरू न किया जाना आदि शामिल हैं।								
15	अनुदान सं. 11 - यूडी और पीडब्ल्यूडी	12,551.68	0.53	12,552.21	7,405.78	5,146.43	3,187.42	1,959.01
बचत के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावों की कमी के कारण पावर के स्वीकृत नहीं होने (₹ 208.23 करोड़), एमएलएएलएडी के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, जियो टैगिंग के अभाव में शेष राशि के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, भारत सरकार से केंद्रीय हिस्सा प्राप्त नहीं होने (₹ 200.00 करोड़), दिल्ली जल बोर्ड से अनुचित प्रस्ताव प्राप्त होने, अनुमानित बिलों की प्राप्ति नहीं होने, प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिलने और भूमि अधिग्रहण की धीमी गति, काम में बाधा आदि के कारण बचत हुई। बचत अभ्यर्पण के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ कार्य की धीमी गति, अधिक ऋण एवं अग्रिम जारी करने का प्रावधान किया जाना, कम ऋण एवं अग्रिम (₹ 850.00 करोड़) जारी किया जाना, कार्य का अंतिम रूप न दिया जाना, वाईफाई सेवा बंद होना, परियोजना का अभी तक स्वीकृत न होना, नीति का वापस लिया जाना आदि शामिल हैं।								
	कुल	14,910.19	1.68	14,911.87	8066.45	6,845.42	4,589.68	2,255.74
	कुल योग	57,150.94	931.63	58,082.57	45,112.85	12,969.72	6,763.76	6,205.96

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिशिष्ट 3.8

(पैराग्राफ 3.3.3 में संदर्भित)

पिछले 5 वर्षों के दौरान उन अनुदानों का विवरण जहां ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत लगातार व्यपगत हो गई

क्र.सं.	अनुदान सं. और नाम	वह अवधि (वर्ष) जिसके दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत व्यपगत हो गई
1.	1- विधान सभा	-
2.	2- सामान्य प्रशासन	2019-2024 (5)
3.	3- न्याय प्रशासन	2019-20, 2021-2024 (4)
4.	4- वित्त	2019-2024 (5)
5.	5- गृह	2019-2024 (5)
6.	6- शिक्षा	2019-2024 (5)
7.	7- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2019-2024 (5)
8.	8- समाज कल्याण	2019-2023 (4)
9.	9- उद्योग	2019-2024 (5)
10.	10- विकास	2019-2024 (5)
11.	11- शहरी विकास और जन कार्य	2019-2024 (5)
12.	12- ऋण	-
13.	13- पेंशन	-
14.	14- आकस्मिकता निधि हेतु विनियोजन	-
15.	15- लोक ऋण	-

परिशिष्ट 3.9

(पैराग्राफ 3.4.2 में संदर्भित)

ऐसी योजनाएं जिनके लिए प्रावधान किया गया (₹ एक करोड़ और अधिक) परंतु कोई व्यय नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
राजस्व दत्तमत					
1.	अनुदान सं. 03	2014.00.103.98- सांसदों और विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना	2.60	2.60	शून्य
2.		4059.60.051.72 - राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के समीप जिला न्यायालय ब्लॉक (I) के लिए नए न्यायालय भवन का निर्माण	0.01	1.00	शून्य
3.		4059.60.051.73 -उस्मानपुर थाने के पास शास्त्री पार्क में जिला न्यायालय परिसर का निर्माण	0.01	1.00	शून्य
4.		4059.60.051.74- मौजूदा कड़कड़ूमा कोर्ट परिसर के सामने कड़कड़ूमा में नए प्लॉट पर अतिरिक्त न्यायालयों का निर्माण	0.01	1.00	शून्य
5.	अनुदान सं. 05	2056.00.101.97- जेलों में बॉडी वॉर्न कैमरा के पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन (सीएसएस)	1.00	1.00	शून्य
6.		2056.00.101.98 - ई-जेल परियोजना (सीएसएस) का कार्यान्वयन	1.00	1.00	शून्य
7.	अनुदान सं. 06	2202.02.109.49- बिजनेस ब्लास्टर टीमों के इन्क्यूबेशन के लिए डीएसईयू को सहायता अनुदान	5.00	5.00	शून्य
8.		2202.02.109.47 - देश के मॉडर के लिए डीसीपीसीआर को सहायता अनुदान	5.00	5.00	शून्य
9.		2202.03.001.97- अभिभावक कार्यशालाओं के आयोजन के लिए डीसीपीसीआर को सहायता अनुदान	5.00	5.00	शून्य
10.		2203.00.112.44- विश्वविद्यालय/कॉलेजों में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना	4.03	4.03	शून्य
11.		2203.00.112.34- इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, विकास, डिजिटल स्वास्थ्य, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि में अनुसंधान के लिए इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) को सहायता अनुदान	0.01	2.00	शून्य
12.		2230.03.101.88- कौशल अर्जन ज्ञान जागरूकता आजीविका संवर्धन (संकल्प) (सीएसएस)	0.01	4.14	शून्य
13.		2205.00.102.36- भारत का महोत्सव	5.00	1.00	शून्य
14.		2205.00.104.94- अभिलेखों का डिजिटलीकरण एवं माइक्रो फिल्मों तथा अभिलेखीय अभिलेखों का संरक्षण	5.00	2.50	शून्य
15.		2202.03.001.96 - दिल्ली उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा आश्वासन योजना को सहायता अनुदान (दिल्ली उच्चतर शिक्षा सहायता ट्रस्ट के अंतर्गत)	50.00	10.00	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
16.		2202.03.102.83 - स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम के लिए डी.एस.ई.यू. को सहायता अनुदान	10.00	2.00	शून्य
17.		2202.03.102.84 - खेल विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	100.00	2.00	शून्य
18.	अनुदान सं. 07	2210.06.113.97 - वेक्टर जनित रोगों और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता अभियान	10.24	4.98	शून्य
19.		2210.06.800.67 - रोगी कल्याण समिति को सहायता अनुदान	5.00	1.00	शून्य
20.		2211.00.101.78 - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा उपकेन्द्र (सीएसएस)	2.00	2.39	शून्य
21.		2211.00.102.80- शहरी परिवार कल्याण केंद्र (सीएसएस)	20.00	24.53	शून्य
22.		2211.00.102.78- शहरी परिवार कल्याण केंद्रों का पुनरुद्धार (सीएसएस)	5.00	12.05	शून्य
23.		2211.00.102.75 - अस्पताल में प्रसवोत्तर इकाइयों पर व्यय के लिए अनुदान	5.00	2.14	शून्य
24.	अनुदान सं. 08	2235.02.001.92 - सुरक्षा आंतरिक और बाह्य स्वच्छता संवर्धन (एसडब्ल्यूडी) (राजस्व प्रभारित)	2.50	2.50	शून्य
25.		2235.02.102.22 - माता-पिता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी समितियों का प्रशिक्षण (प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा)	2.00	2.00	शून्य
26.		2235.02.102.17.90 -आधार नामांकन किट की खरीद के लिए आंगनवाड़ी सेवा योजना	2.56	2.56	शून्य
27.		2235.02.102.14.97- गैर संस्थागत देखभाल प्रायोजन/पालक देखभाल/बाद की देखभाल	0.02	2.04	शून्य
28.		2235.02.102.13.87- गैर संस्थागत देखभाल प्रायोजन पालन-पोषण देखभाल के बाद देखभाल	0.02	1.30	शून्य
29.		2235.02.103.22 -इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) एनएसएपी (सीएसएस)	13.50	13.75	शून्य
30.		2235.02.103.13.97 -पीएमवीएमवीवाई - फ्लेक्सी फंड	1.82	1.82	शून्य
31.		2235.02.103.12.97 -पीएमएमवीवाई- फ्लेक्सी फंड	1.13	1.13	शून्य
32.		2235.02.107.93- स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (डीडब्ल्यूसीडी)	2.10	1.25	शून्य
33.		2236.02.101.71 -पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त आहार	10.00	4.94	शून्य
34.		2225.01.190.97 - एससी/एसटी के लिए डीएससीएफडीसी को वित्तीय सहायता	2.00	10.00	शून्य
35.		2225.01.789.74 -प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पीएम-एजेवाई) (सीएसएस)	1.50	1.50	शून्य
36.		2225.03.277.75 - अल्पसंख्यक/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना	30.00	3.81	शून्य
37.		2225.03.277.74 -ओबीसी छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्य अंशदान)	1.60	1.60	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
38.		2225.03.277.72 - ओबीसी छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (सीएसएस)	2.40	2.40	शून्य
39.		2225.80.789.97-किस सोसाइटी (एससीएसपी) के सहयोग से गांव ईशापुर दिल्ली में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /न्यूनतम वर्ग और अनाथ बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना	2.40	2.40	शून्य
40.		2235.02.200.78- प्रख्यात व्यक्तियों की जयंती एवं पुण्यतिथि हेतु योजना	2.00	2.00	शून्य
41.		2041.00.800.72 - सब्सिडी (ऑटो रिक्शा में जीपीएस ट्रैकिंग शुल्क और सिम कार्ड की लागत)	12.00	12.00	शून्य
42.		3055.00.001.84 - क्लस्टर बसों में राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) (उपशीर्षक)	0.01	2.64	शून्य
43.		3055.00.190.89 -एमआरटीएस को अन्य अनुदान	1.01	200.00	शून्य
44.		3075.60.800.78-डीएमआरटीएस के लिए बाह्य सहायता (जेआईसीए ऋण) पर विदेशी मुद्रा भिन्नता को साझा करने के लिए डीएमआरसी को अनुदान	0.01	100.00	शून्य
45.		3452.01.190.69 - दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान	100.00	2.60	शून्य
46.		3452.01.190.66 - दिल्ली फिल्म फंड के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान	5.00	1.00	शून्य
47.		3452.80.001.84- मंत्रिपरिषद के लिए जन सहभागिता	6.00	1.00	शून्य
48.		3452.80.104.61-भारत की स्वतंत्रता की 75 ^{वीं} वर्ष गांठ समारोह के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान	0.01	6.72	शून्य
49.	अनुदान सं. 09	2230.02.101.69 - रोजगार बाजार 2.0 के लिए डी.एस.ई.यू. को सहायता अनुदान	12.00	3.00	शून्य
50.		3456.00.001.94 - राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए अभियान	10.00	5.00	शून्य
51.		3456.00.102.86 - खाद्यान्नों की अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और एनएफएसए (सीएसएस) के तहत एफपीएस डीलरों का मार्जिन	39.01	49.55	शून्य
52.		3456.00.103.93 - आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत की जांच के लिए बाजार हस्तक्षेप का प्रावधान	5.00	5.00	शून्य
53.		3475.00.106.90 - विधिक माप विज्ञान विंग (सीएसएस) का सुदृढीकरण	1.20	1.20	शून्य
54.	अनुदान सं. 10	2403.00.800.60 - दिल्ली के पशु कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता अनुदान	1.50	1.50	शून्य
55.		2515.00.800.77 -आईडीआरयूवी कार्य जिसमें डीवीडीबी के माध्यम से जल निकाय शामिल हैं, जिसमें आईडीयूवी कार्यों (सामान्य) की मरम्मत के लिए 5% परिव्यय शामिल है	1.40	1.40	शून्य
56.		2015.00.106.95.98 - चुनाव पर व्यय	0.01	2.10	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
57.		3435.04.103.85 - दिल्ली में उन्नत वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए वास्तविक समय स्रोत आवंटन और पूर्वानुमान के लिए डीपीसीसी को अनुदान	0.41	3.82	शून्य
58.		3435.04.103.81- मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन (एमआरएस) स्प्रींकर मशीन (डब्ल्यूएस) और एंटी-स्मॉग गन (एसजी) को लगाने के लिए एमसीडी को सहायता अनुदान	0.01	9.42	शून्य
59.	अनुदान	2217.05.001.99 - दिल्ली फूड हब का पुनर्विकास	5.00	1.00	शून्य
60.	सं. 11	2217.05.001.98 - खुदरा बाजारों का नवीनीकरण और संवर्धन	50.00	5.00	शून्य
61.		2217.05.191.94 - अमृत 2.0 (सीएसएस) के लिए एमसीडी/एनडीएमसी को सहायता अनुदान	1177.00	438.24	शून्य
62.		2217.80.191.04.95- शहरी विकास विभाग क्षमता निर्माण और ए एण्ड ओई (सीएसएस)	5.00	2.50	शून्य
63.		2217.80.191.04.91 - जन जागरूकता और आईईसी गतिविधियों के लिए शहरी विकास विभाग (सीएसएस)	5.00	2.50	शून्य
64.		3475.00.108.94 -दीन दयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (सीएसएस)	5.37	8.06	शून्य
	कुल		1757.79	1019.61	
पूँजीगत दत्तमत					
65.	अनुदान सं. 06	4202.01.202.86 - 2+ स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान का परिचय	42.00	1.00	शून्य
66.	अनुदान सं. 09	5475.00.102.88 - जिला फोरम और राज्य आयोग को आवास उपलब्ध कराना	0.40	5.00	शून्य
67.	अनुदान	4403.00.101.92- पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	0.96	1.85	शून्य
68.	सं. 10	4059.01.051.81 -उप आयुक्त कार्यालय	15.00	5.00	शून्य
69.	अनुदान सं. 11	6215.01.191.69 चंद्रावल डब्ल्यूटीपी के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण (राज्य का हिस्सा)	30.00	20.00	शून्य
70.		6215.01.191.70 चंद्रावल डब्ल्यूटीपी के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण -जेआईसीए (केंद्रीय शेयर)	200.00	200.00	शून्य
71.		4059.80.051.76-राष्ट्रीय ध्वज के लिए पोल की स्थापना	1.00	4.00	शून्य
72.		4235.02.103.99 -मजनु के टीले पर महिला एवं बाल विकास मुख्यालय भवन का निर्माण	9.71	1.00	शून्य
73.		5054.04.101.70 - खेड़ा कलां से खेड़ा खुर्द रोड पर रेलवे क्रॉसिंग सं. एलसी-12 पर आरओबी/आरयूबी का निर्माण	10.00	1.00	शून्य
74.		5054.04.101.69 - मोदी मिल फ्लाईओवर का (एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में) कालकाजी मंदिर के मौजूदा आधे फ्लाईओवर तक विस्तार,	0.01	1.00	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
		साथ ही कालकाजी में नए अतिरिक्त आधे फ्लाईओवर का निर्माण (उपशीर्ष)			
75.		5054.04.337.75 -वाई-फाई दिल्ली	50.00	1.00	शून्य
76.		4810.00.101.99 - नवीकरणीय ऊर्जा	10.00	10.00	शून्य
	कुल		369.08	250.85	शून्य
कुल योग			2,126.87	1,270.46	शून्य

परिशिष्ट 3.10

(पैराग्राफ 3.4.2 में संदर्भित)

वे योजनाएं जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था परंतु संशोधित
परिव्यय में उन्हें वापस ले लिया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय
1.	अनुदान सं. 2	2055.00.119.97 दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु सुरक्षित शहर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिल्ली पुलिस सेवा सोसायटी को सहायता अनुदान (निर्भया फंड) (केंद्र प्रायोजित योजना)	284.44	0.00
2.		2220.60.101.96 -मीडिया नेटवर्क के साथ सहयोग	55.00	0.00
3.		2220.60.101.95- प्रत्येक विभाग के लिए संचार टीम	22.00	0.00
4.		2220.60.101.94- आउटरीच कार्यक्रम के लिए शासन का दिल्ली मॉडल	45.00	0.00
5.		2220.60.101.91 -महिला सुरक्षा पर मीडिया अभियान	22.00	0.00
6.	अनुदान सं. 3	4070.00.001.87 -उच्च न्यायालय (उपशीर्ष)	23.41	0.00
7.		4059.01.051.71- न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाएं (केंद्र प्रायोजित योजना)	30.00	0.00
8.	अनुदान सं. 4	3451.00.102.93 - आर्थिक, योजना और निगरानी फेलोशिप	2.10	0.00
9.		2043.00.101.92- बिल बनवाओ इनाम पाओ	1.00	0.00
10.		7615.00.200.76- स्वायत्त/स्थानीय निकायों को अर्थोपाय ऋण	500.00	0.00
11.	अनुदान सं. 6	2202.02.004.97- पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि की खरीद के लिए शिक्षाविदों/शैक्षणिक प्रशासकों को अनुदान।	1.00	0.00
12.		2202.02.101.97- दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सहायता अनुदान	30.00	0.00
13.		2202.02.104.98- शिक्षकों की नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देना	5.00	0.00
14.		2202.02.109.95- ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को निःशुल्क परिवहन सुविधा	4.00	0.00
15.		2202.02.109.72- स्कूल स्वास्थ्य योजना और बहुउद्देश्यीय छात्र आई-कार्ड जारी करना	5.00	0.00
16.		2202.02.109.68- ऑनलाइन व्याख्यानो के प्रसारण के लिए स्टूडियो की स्थापना	1.00	0.00
17.		2202.02.113.96- समग्र शिक्षा - शिक्षक शिक्षा (केंद्र प्रायोजित योजना)	8.00	0.00
18.		2202.02.113.95 - समग्र शिक्षा- शिक्षक शिक्षा (राज्य शेयर)	5.00	0.00
19.		2202.02.113.94- समग्र शिक्षा माध्यमिक शिक्षा (टॉप अप)	13.00	0.00

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय
20.		2202.80.001.83- अंग्रेजी बोलने के कौशल और संचार क्षमता के विकास के लिए विशेष कक्षाओं का संचालन	6.00	0.00
21.		2204.00.104.53- खेल संघों को सहायता अनुदान	1.00	0.00
22.		2230.03.101.89- मॉडल आईटीआई (उपशीर्ष)	1.50	0.00
23.		2205.00.102.50- कन्नड़ अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
24.		2205.00.102.49- कश्मीरी अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
25.		2205.00.102.47- मलयालम अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
26.		2205.00.102.46- मराठी अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
27.		2205.00.102.45- मारवाड़ी अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
28.		2205.00.102.44- ओडिया अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
29.		2205.00.102.43- पाली एवं प्राकृत अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
30.		2205.00.102.42- तमिल अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
31.		2205.00.102.41- -तेलुगु अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
32.		2205.00.102.40- अंतर्राष्ट्रीय अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
33.		2205.00.102.39- कोंकणी अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
34.	अनुदान सं. 7	2210.01.200.69- आपातकालीन कोविड-19 प्रतिक्रिया पैकेज 3.0 का कार्यान्वयन	50.00	0.00
35.		2211.00.001.90- परिवार कल्याण निदेशालय (केन्द्र प्रायोजित योजना)	7.5	0.00
36.		4210.04.101.88- प्रादेशिक कैंसर केयर सेंटर (केंद्र प्रायोजित योजना)	1.00	0.00
37.	अनुदान सं. 8	2235.02.101.47- सुगम्य सहायक - विकलांग छात्रों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए	1.00	0.00
38.		2235.02.101.46- शिक्षा प्राप्ति के प्रत्येक स्तर पर विकलांग छात्रों के लिए सावधि जमा	1.00	0.00
39.		2235.02.101.45- विकलांग माता-पिता की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता	1.00	0.00
40.		2235.02.104.65- वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवासीय मनोरंजन केंद्र	2.00	0.00
41.		2235.02.104.61- विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और संबद्ध सेवाओं के लिए संस्थान	1.00	0.00
42.		2235.02.104.59- भिखारियों, विकलांग व्यक्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कौशल विकास और पुनर्वास	1.00	0.00
43.		2235.02.200.73- वार्षिक लाभार्थी सत्यापन योजना	15.00	0.00
44.		2235.02.789.99- वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार) (एससीएसपी)	155.50	0.00

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय
45.		2235.02.789.98- विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता (एससीएसपी)	55.68	0.00
46.		2225.01.277.42- मिडिल कक्षाओं तक के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री जूनियर छात्रवृत्ति योजना	10.15	0.00
47.		3055.00.001.87- फीडर बस सेवा/इलेक्ट्रिक वाहन	1.00	0.00
48.	अनुदान सं. 9	2852.80.104.97- दिल्ली बाजार प्लेटफॉर्म के शुभारंभ के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान	2.00	0.00
49.		2852.80.104.95- दिल्ली के गांधी नगर गारमेट हब के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान	15.00	0.00
50.		2401.00.130.99- किसान मित्र योजना	49.61	0.00
51.		4851.00.102.69- गांधीनगर मार्केट का पुनर्विकास परियोजना (उपशीर्ष)	25.00	0.00
52.	अनुदान सं. 10	2053.00.093.80- दिल्ली दर्शन योजना	1.00	0.00
53.		2225.04.102.97- अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (केंद्र प्रायोजित योजना)	9.00	0.00
54.		2245.05.101.99- राहत कोष और जमा खातों में स्थानांतरण - राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (केंद्र का हिस्सा)	15.00	0.00
55.		2245.05.101.98- राहत कोष और जमा खातों में स्थानांतरण - राज्य आपदा प्रतिक्रिया (राज्य का हिस्सा)	3.75	0.00
56.		2406.04.103.98- राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि (एससीएएफ) से वित्तपोषित जलग्रहण क्षेत्र उपचार संयंत्र	2.22	0.00
57.		3435.60.789.98- दिल्ली पार्क और उद्यान सोसायटी (एससीएसपी)	4.30	0.00
58.		4202.03.102.99- जिला स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास	55.00	0.00
59.		4702.00.102.97- जिला स्तर पर जल निकायों का विकास	55.00	0.00
60.	अनुदान सं. 11	2215.01.101.99- नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी	2.50	0.00
61.		2217.05.800.85- बाजार विकास निधि	2.00	0.00
62.		4217.60.051.95- मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास	300.00	0.00
63.		7615.00.200.73- स्थानीय निकायों को अर्थोपाय सहायता के लिए ऋण	850.00	0.00
64.		4059.01.051.69- अतिरिक्त कार्यालय स्थान और डीडीसीडी भवन का निर्माण	1.00	0.00
65.		420201.202.89- डिजिटल कक्षाओं का निर्माण	20.00	0.00
66.		4202.01.203.88- अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) परिसर का निर्माण - रोहिणी	50.00	0.00

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय
67.		5054.04.101.95- मजनू का टीला एयूडी पर फ्लाईओवर और आउटर रिंग रोड पर मेटकाफ हाउस	1.50	0.00
68.		5054.04.337.84- रोहतक रोड एवं एच-10 (ज्वाला हेरी मार्केट रेड लाइट से ज्वालापुरी रेड लाइट) के कॉरिडोर के लिए एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर विकास और स्ट्रीट नेटवर्क/कनेक्टिविटी	5.00	0.00
69.		5054.04.337.80- महरौली-बदरपुर कॉरिडोर (डीएमआरसी को भुगतान)	150.00	0.00
70.		4801.05.800.91- भूमि की खरीद	30.00	0.00
71.		4801.05.800.86- जगमगाती दिल्ली कार्यक्रम के तहत 11केवी नेटवर्क को अनावृत कंडक्टर से इंसुलेटेड कंडक्टर में परिवर्तित करना	10.00	0.00
72.		4070.00.101.99- राज्य चुनाव आयोग	25.15	0.00
कुल			3,063.31	

परिशिष्ट 3.11

(पैराग्राफ 3.4.3 (ii) में संदर्भित)

केवल मार्च-2024 में 50 प्रतिशत से अधिक कुल व्यय वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	कुल व्यय	मार्च 2024 में किया गया व्यय (पूरक सहित)	24 मार्च के दौरान कुल व्यय का %
03- न्याय प्रशासन				
1	2015.00.105.90.00.13	48.99	33.41	68.2
कुल		48.99	33.41	
05- गृह				
2	4070.00.001.76.00.52	77.05	49.71	64.52
कुल		77.05	49.71	
06- शिक्षा				
3	2202.01.113.98.00.31	147.46	74.71	50.66
4	2202.01.113.98.00.35	13.69	10.24	74.8
5	2202.01.789.79.00.31	20	16.19	80.95
6	2202.02.109.86.00.49	24.81	12.57	50.67
7	2202.02.113.98.00.31	23	15.82	68.78
8	2202.02.113.98.00.35	24	17.94	74.75
9	2203.00.102.96.00.31	17.57	12.57	71.54
10	2203.00.102.96.00.36	47.75	35.25	73.82
11	2203.00.112.49.00.36	15.00	11.25	75
12	2204.00.103.78.00.40	13.91	13.59	97.7
कुल		347.19	220.13	
07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
13	4210.01.110.96.00.52	29.56	24.09	81.5
कुल		29.56	24.09	
08- समाज कल्याण				
14	2235.02.102.17.97.49	90	47.05	52.28
15	3055.00.190.94.00.33	260	133.81	51.47
16	5055.00.190.80.00.54	383.31	218.31	56.95
कुल		733.31	399.17	
10-विकास				
17	4711.01.800.93.00.73	15.37	10.4	67.66
कुल		15.37	10.4	
11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग				
18	3054.04.105.97.96.27	371.48	227.91	61.35

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	कुल व्यय	मार्च 2024 में किया गया व्यय (पूरक सहित)	24 मार्च के दौरान कुल व्यय का %
19	4059.01.051.96.00.72	39.81	20.24	50.84
20	5054.04.337.94.00.73	251.17	135.2	53.83
21	5054.04.337.95.00.73	271	155	57.2
22	6215.01.190.98.00.55	13.41	10.91	81.36
कुल		946.87	549.26	
कुल योग		2198.34	1286.17	

परिशिष्ट 3.12
(पैराग्राफ 3.5(ई) में संदर्भित)
निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग, जहां अंतिम बचत
₹ एक करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	पूरक	पुनर्विनियोग	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में से बचत
2021-22							
1	2235.02.001.98 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण समाज कल्याण निदेशालय	16.47	0.00	0.87	17.34	15.94	1.39
2	2235.02.101.95- विकलांगों का कल्याण: मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए स्कूल/घर	23.15	0.00	0.83	23.98	22.85	1.13
3	2235.02.101.93- शिक्षक प्रशिक्षण इकाई और लेडी नॉयस स्कूल फॉर डेफ एंड डंब	6.26	0.01	0.34	6.61	5.35	1.25
4	2235.03.101.98- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) (एनएसएपी) (सीएसएस) (उपशीर्ष)	44.00	0.00	0.50	44.50	32.82	11.67
5	2235.02.102.54 - किशोर न्याय (बच्चों का मामला और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का कार्यान्वयन	12.25	0.00	0.75	13.00	11.90	1.10
6	2235.02.102.31- बाल अधिकार आयोग	6.20	0.02	0.68	6.90	5.02	1.87
7	2235.02.102.17.90 -आंगनवाड़ी सेवा योजना-आधार नामांकन किट की खरीद	0.00	0.01	2.55	2.56	0.00	2.56
8	2235.02.102.16.92- आंगनवाड़ी सेवा योजना- आधार नामांकन किट की खरीद	0.00	0.01	1.70	1.71	0.00	1.71
9	2235.02.103.13.97- पीएमएमवीवाई-फ्लेक्सी फंड	0.00	0.01	1.19	1.20	0.00	1.20
10	2235.02.789.92.97- सक्षम आंगनवाड़ी और किशोरियों (एसएजी) के लिए पोषण 2.0 (सीएसएस) योजना-पोषण घटक	0.00	0.01	0.99	1.00	0.00	1.00

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	पूरक	पुनर्विनियोग	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में से बचत
11	2225.01.277.52- एससी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (सीएसएस)	10.00	0.01	0.74	10.75	0.09	10.65
12	2225.01.277.50- कलिंग्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (केआईएसएस) के सहयोग से गांव ईशापुर दिल्ली में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों एवं अनाथों के कमजोर वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना	3.00	0.01	1.41	4.42	1.27	3.14
13	2225.03.800.94- सफाई कर्मचारियों के लिए दिल्ली कमीशन को सहायता अनुदान	2.62	0.02	0.37	3.01	1.71	1.30
14	2225.80.789.97- कलिंग्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (केआईएसएस) (एससीएसपी) के सहयोग से गांव ईशापुर दिल्ली में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/न्यूनतम एवं अनाथ वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना	2.00	0.01	0.93	2.94	0.85	2.09
	कुल	125.95	0.12	13.85	139.92	97.80	42.06
2022-23							
15	22350200186- महिला एवं बाल विकास निदेशालय	14.65	0.00	0.45	15.10	11.54	3.56
16	2235021021796- पोषण मिशन	15.38	0.01	2.31	17.70	6.94	10.76
17	2235021021696- पोषण मिशन	3.84	0.03	7.93	11.80	3.84	7.96
18	2235021031397- पीएमएमवीवाई फ्लेक्सी फंड	2.10	0.00	1.40	3.50	0.00	3.50
19	22250127762- अनुसूचित जाति के बालकों हेतु छात्रावास	1.90	0.00	0.10	2.00	0.55	1.45
20	20410080079 -रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण	17.25	0.00	5.38	22.63	13.39	9.24
	कुल	55.12	0.04	17.57	72.73	36.26	36.47
	पूँजीगत दत्तमत्त						

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	पूरक	पुनर्विनियोग	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में से बचत
21	42350280093- मौजूदा भवन में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (डब्ल्यूसीडी)	3.00	0.00	0.20	3.20	0.27	2.93
	कुल	3.00	0.00	0.20	3.20	0.27	2.93
2023-24							
22	22350200198- समाज कल्याण निदेशालय	20.26	0.05	3.23	23.54	18.63	4.90
23	22350210195- मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए स्कूल/घर	26.45	0.00	1.06	27.51	20.47	7.04
24	22350210191- राजकीय दृष्टिहीन बालक विद्यालय, किंग्सवे कैंप	8.01	0.00	0.76	8.77	5.10	3.66
25	22350210183- विकलांगता निवारण/ विकलांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार/ जन जागरूकता का प्रचार-प्रसार	6.05	0.00	0.29	6.34	5.12	1.21
26	22350210157- विकलांग व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता	390.00	0.01	9.99	400	386.32	13.67
27	22350210498- पुरुष और महिला भिखारियों के लिए घर	8.37	0.00	1.27	9.64	7.32	2.31
28	22350310198- इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) (सीएसएस)	44.50	0.00	0.70	45.20	13.21	31.98
29	2235021021798- आंगनवाड़ी सेवा योजना- आंगनवाड़ी सेवाएं (सामान्य)	89.50	0.01	1.49	91.00	53.49	37.50
30	2235021031398- समर्थ प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	1.50	0.01	25.49	27.00	1.03	25.96
31	2235021031393- सामर्थ्य महिला सशक्तिकरण केंद्र	1.43	0.00	1.37	2.81	0.96	1.84
32	2235021031390 - सबल बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं (बीबीबीपी)	1.00	0.00	2.50	3.50	0.80	2.70
33	22350280085-विलेज कॉटेज होम	2.96	0.01	0.73	3.70	2.54	1.16
34	20410080079 -रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण	19.90	0.00	4.15	24.05	12.22	11.82

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	पूरक	पुनर्विनियोग	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में से बचत
35	30550019096- क्लस्टर बसों के घाटे को पूरा करने के लिए मुआवजा	1,250.00	156.09	11.90	1,418.00	1,249.99	168.00
36	30550019089- एमआरटीएस को अन्य अनुदान	1.00	0.01	198.99	200.00	0.00	200.00
	कुल	1,870.93	156.10	263.92	2,291.06	1,777.20	513.75

स्रोत: विनियोग खाते

परिशिष्ट 3.13

(पैराग्राफ 3.5 (एफ) में संदर्भित)

ऐसी योजनाएं जिनमें प्रावधान (₹ एक करोड़ या अधिक) किया गया परंतु कोई व्यय नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
राजस्व दत्तमत				
2021-22				
1	2235.02.104.59 - भिखारियों, विकलांग व्यक्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कौशल विकास और पुनर्वास	1.00	1.00	शून्य
2	2235.02.102.36 - प्रोत्साहन आंगनवाड़ी उन्नयन योजना	15.00	4.76	शून्य
3	2235.02.102.22 - माता-पिता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी समितियों का प्रशिक्षण (प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा)	2.00	1.00	शून्य
4	2235.02.102.17.90 - आंगनवाड़ी सेवा योजना-आधार नामांकन किट की खरीद	0.01	2.56	शून्य
5	2235.02.102.16.92 - आंगनवाड़ी सेवा योजना-आधार नामांकन किट की खरीद	0.01	1.71	शून्य
6	2235.02.103.17 - महिला सहायता प्रकोष्ठ (महिला सहायता डेस्क)	2.05	1.00	शून्य
7	2235.02.789.92.97 - किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) - पोषण घटक	0.01	1.00	शून्य
8	2225.01.190.97 - एससी/एसटी के लिए डीएससीएफडीसी को वित्तीय सहायता	3.00	1.00	शून्य
9	2041.00.800.96 - सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ और गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	1.00	1.00	शून्य
10	3452.80.104.59 - पर्यटन और विरासत फेलोशिप के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान	2.00	1.00	शून्य
पूँजीगत दत्तमत				
11	4235.02.104.98 - वृद्धाश्रम	4.00	1.00	शून्य
12	4235.02.102.98 - प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में सी.सी.टी.वी.	5.00	2.28	शून्य
13	4235.02.103.98 - कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण	3.00	1.00	शून्य
14	4235.02.800.93 - मौजूदा भवन में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (डब्ल्यूसीडी)	2.50	2.50	शून्य
15	6225.80.800.94 - मुख्यमंत्री स्ट्रीट वैंडर्स ऋण योजना के तहत डीएसएफडीसी को ऋण	20.00	5.00	शून्य
16	5055.00.050.86 - बस कतार आश्रयों का निर्माण	30.00	2.00	शून्य
17	5452.01.102.92 - दिल्ली सदन के निर्माण हेतु भूमि की खरीद	20.00	1.00	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
2022-23				
राजस्व दत्तमत				
18	2235.02.104.60 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना	2.35	2.35	शून्य
19	2235.03.102.98 - राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएसएपी) (सीएसएस)	4.67	4.67	शून्य
20	2235.02.103.18 - महिलाओं की गरिमा के लिए व्यवहार में परिवर्तन	12.00	1.00	शून्य
21	2235.02.103.13.97 - पीएमएमवीवाई फ्लेक्सी फंड	2.10	3.50	शून्य
22	2235.02.103.13.90 - संबल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)	0.02	1.00	शून्य
23	2236.02.101.71 - पूरक पोषण के अंतर्गत अतिरिक्त आहार प्रोग्राम	10.00	1.00	शून्य
24	2225.01.190.97 - एससी/एसटी के लिए डीएससीएफडीसी को वित्तीय सहायता	2.53	1.75	शून्य
25	2225.03.277.75 - अल्पसंख्यकों/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना	90.00	4.86	शून्य
26	22350220078 - प्रतिष्ठित हस्तियों की जन्म और पुण्यतिथि की योजना	2.00	1.90	शून्य
27	3055.00.001.87 - फीडर बस सेवा/इलेक्ट्रिक वाहन	1.00	1.00	शून्य
28	3055.00.190.89 - एमआरटीएस को अन्य अनुदान	0.01	1.00	शून्य
29	3452.80.001.84 - मंत्रिपरिषद के लिए जन सहभागिता	6.00	6.00	शून्य
पूँजीगत दत्तमत				
30	4235.02.101.82 - विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के लिए योजना (पूँजीगत व्यय)	5.00	5.00	शून्य
2023-24				
राजस्व दत्तमत				
31	2235.02.001.92 - आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, स्वच्छता संवर्धन (प्रभारित व्यय)	2.50	2.50	शून्य
32	2235.02.102.22 - माता-पिता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी समितियों का प्रशिक्षण (प्रारंभिक बचपन शिक्षा)	2.00	2.00	शून्य
33	2235.02.102.17.90 - आधार नामांकन किट की खरीद के लिए आंगनवाड़ी सेवा योजना	2.56	2.56	शून्य
34	2235.02.102.14.97 - गैर संस्थागत देखभाल प्रायोजन/पालक देखभाल/बाद की देखभाल	0.02	2.04	शून्य
35	2235.02.102.13.87 - गैर-संस्थागत देखभाल प्रायोजन पालन-पोषण देखभाल के बाद की देखभाल	0.02	1.30	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
36	2235.02.103.22 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (सीएसएस)	13.50	13.75	शून्य
37	2235.02.103.13.97 - पीएमवीएमवीवाई - फ्लेक्सी फंड	1.82	1.82	शून्य
38	2235.02.103.12.97 - पीएमएमवीवाई- फ्लेक्सी फंड	1.13	1.13	शून्य
39	2235.02.107.93 - सहायता के रूप में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (डीडब्ल्यूसीडी)	2.10	1.25	शून्य
40	2236.02.101.71 - पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त आहार	10.00	4.94	शून्य
41	2225.01.190.97 - एससी/एसटी के लिए डीएससीएफडीसी को वित्तीय सहायता	2.01	10.00	शून्य
42	2225.01.789.74 - प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (सीएसएस)	1.50	1.50	शून्य
43	2225.03.277.75 - अल्पसंख्यकों/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना	30.00	3.81	शून्य
44	2225.03.277.74 - ओबीसी छात्र को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्य का हिस्सा)	1.60	1.60	शून्य
45	2225.03.277.72 - ओबीसी छात्र को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (सीएसएस)	2.40	2.40	शून्य
46	2225.80.789.97 - गांव ईशापुर में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/न्यूनतम वर्ग के कमजोर वर्ग एवं अनाथ बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना दिल्ली में किस सोसायटी (एससीएसपी) के सहयोग से	2.40	2.40	शून्य
47	2235.02.200.78 - प्रख्यात व्यक्तियों की जयंती एवं पुण्यतिथि हेतु योजना	2.00	2.00	शून्य
48	2041.00.800.72 - सब्सिडी (ऑटो रिकशा में जीपीएस ट्रैकिंग शुल्क और सिम कार्ड की लागत)	12.00	12.00	शून्य
49	3055.00.001.84 - क्लस्टर बसों में नेशन कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी)	0.01	2.64	शून्य
50	3055.00.190.89 - एमआरटीएस को अन्य अनुदान	1.01	200.00	शून्य
51	3075.60.800.78 - डीएमआरटीएस के लिए बाह्य सहायता (जेआईसीए ऋण) पर विदेशी मुद्रा अंतर को साझा करने के लिए डीएमआरसी को अनुदान	0.01	100.00	शून्य
52	3452.01.190.69 - दिल्ली शापिंग फेस्टिवल के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान	100.00	2.60	शून्य
53	3452.01.190.66 - दिल्ली फिल्मस फंड के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान	5.00	1.00	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
54	3452.80.001.84 - मंत्रिपरिषद् के लिए जन सहभागिता	6.00	1.00	शून्य
55	3452.80.104.61 - भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान	0.01	6.72	शून्य

परिशिष्ट 3.14
(पैराग्राफ 3.5(जी) में संदर्भित)
अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण के अंतर्गत व्यय की अधिकता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	कुल व्यय			
				अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय	पिछले तिमाही के दौरान व्यय का %	मार्च में कुल व्यय	मार्च के लिए व्यय का %
2021-22							
1	2225.01.277.43.00.34	30	30	22.28	74.28	22.28	74.29
2	2225.01.277.71.00.50	63	47.34	29.73	62.80	29.42	62.16
3	2225.01.789.76.00.34	13	13	13	100.00	13	100.00
4	2235.02.103.22.00.50	13.5	13.5	13.50	100.00	13.50	100.00
5	2235.02.103.33.00.50	83.36	79.63	64.40	80.87	40.28	50.59
6	3055.00.190.90.00.31	103.31	103.31	103.31	100.00	78.31	75.80
7	3055.00.190.99.00.33	50	38.46	38.46	100.00	38.46	100.00
8	5055.00.050.85.00.53	450	447.29	392.54	87.76	382.87	85.60
9	5055.00.190.80.00.54	800	800	450	56.25	450	56.25
10	7055.00.190.92.00.55	200	200	100	50.00	100	50.00
11	7055.00.190.94.00.55	150	150	100	66.67	100	66.67
2022-23							
12	2225.01.277.71.00.50	53.88	52.39	37.37	71.34	35.06	66.92
13	3055.00.190.99.00.33	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00
14	3452.80.104.71.00.31	17.50	16.69	12.31	73.79	12.31	73.79
2023-24							
15	2235.02.102.17.97.49	90.00	90.00	47.04	52.28	47.04	52.28
16	3055.00.190.94.00.33	260.00	260.00	133.80	51.46	133.80	51.46
17	3055.00.190.99.00.33	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00
18	5055.00.190.80.00.54	383.31	383.31	218.31	56.95	218.31	56.95
19	7055.001.90.96.00.55	244.50	244.50	244.50	100.00	244.50	100.00

परिशिष्ट 3.15
(पैराग्राफ 3.6.1 में संदर्भित)
लेखापरीक्षा के लिए वाउचर प्रस्तुत न करना

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	डीडीओ_कोड	वाउचर सं.	वाउचर तारीख	कार्यात्मक शीर्ष	वस्तु शीर्ष	कुल राशि
1	डीडीओ :(058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	5895	17-07-2023	2041001010000	13	2899663.00
2	डीडीओ :(058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	12133	09-11-2023	2041001010000	13	102946.00
3	डीडीओ :(058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	12823	22-11-2023	2041001010000	13	621863.00
4	डीडीओ :(062001) डीडीओ, कार्यालय श्रम आयुक्त	7317	09-08-2023	2230010000000	13	459980.00
5	डीडीओ :(062001) डीडीओ, कार्यालय श्रम आयुक्त	18538	15-03-2024	2230010000000	13	1463006.00
6	डीडीओ :(055037) डीडीओ, कॉलेज जाने वाले दृष्टिहीन बालकों के लिए छात्रावास	19852	31-03-2024	2235021019100	21	239802.00
7	डीडीओ :(055039) डीडीओ, राजकीय दृष्टिहीन बालक विद्यालय	4236	19-06-2023	2235021019100	21	31588.00
8	डीडीओ :(055054) डीडीओ, गरीबों का घर	15853	24-01-2024	2235021049800	13	1056101.00
9	डीडीओ :(055063) डीडीओ, भिखारियों का घर-I	7236	07-08-2023	2235021049800	13	223560.00
10	डीडीओ :(055065) डीडीओ, ए और डी भिखारियों के लिए घर	15193	19-01-2024	2235021049800	21	981957.00
11	डीडीओ :(055079) डीडीओ, दृष्टिहीन बालकों के लिए सरकारी स्कूल का सुदृढीकरण	6874	31-07-2023	2235021019100	21	159750.00
12	डीडीओ :(056001) डीडीओ, कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास केंद्र	2608	19-05-2023	2235021048800	13	1381943.00
13	डीडीओ :(055060) डीडीओ, बालकों हेतु बाल गृह-II	5323	03-07-2023	2235021029800	13	160466.00
14	डीडीओ :(098022) डीडीओ, बालकों के लिए निरीक्षण गृह-II	13307	06-12-2023	2235021029800	6	18437.00
15	डीडीओ :(098025) डीडीओ, सुरक्षा स्थान, 1	11327	26-10-2023	2235021029800	21	69816.00

क्रम सं.	डीडीओ_कोड	वाउचर सं.	वाउचर तारीख	कार्यात्मक शीर्ष	वस्तु शीर्ष	कुल राशि
16	डीडीओ : (058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	2081	11-05-2023	3055001909700	36	3500000000.00
17	डीडीओ : (058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	2082	11-05-2023	3055001909700	31	2125000000.00
18	डीडीओ : (058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	5333	03-07-2023	3055001909700	31	2125000000.00
19	डीडीओ : (058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	5334	03-07-2023	3055001909700	36	3500000000.00
20	डीडीओ : (058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	6324	24-07-2023	3055001909400	33	384813310.00
21	डीडीओ : (058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	6941	02-08-2023	3055001909300	33	509710150.00
22	डीडीओ : (058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	7935	23-08-2023	2041008006500	31	162408575.00
23	डीडीओ : (058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	9211	19-09-2023	5055001908000	54	1650000000.00

परिशिष्ट 3.16

(पैराग्राफ 3.6.2 में संदर्भित)

सेवा शुल्क पर जीएसटी का दोहरा भुगतान करने से ₹ 2.29 लाख का अधिक भुगतान हुआ

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	महीना	बिल सं.	वाउचर सं.	सेवा शुल्क को छोड़कर कुल राशि	सेवा शुल्क	सेवा शुल्क सहित कुल राशि	जीएसटी जिसका भुगतान किया जाना था ('5' का @ 18%)	वास्तव में भुगतान किया गया जीएसटी	अतिरिक्त जीएसटी का भुगतान ('9'-'8')
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सुरक्षा गार्ड, मेसर्स आरडी एक्सीलेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	अगस्त 23	सीबी-342	6434	4051508	34437	4085945	729271	735470	6199
		अक्टूबर 23	सीबी-412	8199	5145432	43736	5189168	926178	934050	7873
		नवंबर 23	सीबी-467	9488	4975054	42288	5017342	895510	903122	7612
		दिसंबर 23	सीबी-548	10685	5104708	43390	5148098	918847	926658	7810
		जनवरी 24	सीबी-607	12313	5127148	43580	5170728	922887	930731	7845
2	गृह/संस्थानों में वाई आया, मेसर्स आर्मर सिक्योरिटी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	नवंबर 23	सीबी-535	10704	4547821	175091	4722912	818608	850124	31517
		दिसंबर 23	सीबी-609	12315	4933076	189923	5122999	887954	922140	34186
		जनवरी 24	सीबी-619	12484	5170915	199080	5369995	930765	966599	35834
		फ़रवरी 24	सीबी-659	13104	4882164	187963	5070127	878790	912623	33834
3	स्वच्छता कर्मचारी, मेसर्स सुलभ स्वच्छता मिशन फाउंडेशन	नवंबर 23	सीबी-454	9138	4085892	157306	4243198	735461	763776	28315
		दिसंबर 23	सीबी-518	10354	4085892	157306	4243198	735461	763776	28315
	कुल									2,29,340

परिशिष्ट 3.17

(पैराग्राफ 3.6.2 में संदर्भित)

सेवा शुल्क पर जीएसटी का दोहरा भुगतान करने से ₹ 1.28 लाख का अधिक भुगतान

हुआ

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	बिल का महीना	बिल सं./ दिनांक	वाउचर सं.	बिल की सकल राशि (सेवा शुल्क और जीएसटी सहित)	बिल की राशि बिना जीएसटी @18% (सेवा शुल्क सहित)	जीएसटी सहित सेवा शुल्क (मेसर्स ईगल आई के लिए @ 0.5% तथा मेसर्स शिवानी एंटरप्राइज के लिए @ 0.85%)	अतिरिक्त जीएसटी का भुगतान (सेवा शुल्क पर 18% की दर से जीएसटी)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/1.18	(8)=[(7)/1.005]]* 0.005 (मेसर्स ईगल आई के लिए) =[(7)/1.0085]]*0.0085 (मेसर्स शिवानी एंटरप्राइज के लिए)	(9)=(8)*0.18
1	मेसर्स ईगल आई सिक्क्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज	अप्रैल 23	सीबी - 223/ 08.06.23	4776	4019343	3406223	16946	3050
		जुलाई 23	सीबी - 648/ 18.10.23	14373	4092848	3468515	17256	3106
		अगस्त 23	सीबी - 679/ 02.11.23	15154	8197244	6946817	34561	6221
		सितम्बर 23	सीबी - 916/ 17.01.24	20187	8000841	6780374	33733	6072
		नवंबर 23	सीबी - 1012/ 21.02.24	22417	4268106	3617039	17995	3239
		दिसंबर 23	सीबी - 313/ 11.07.24	7169	10720758	9085388	76575	13783
2	सुरक्षा सेवाओं के लिए मेसर्स शिवानी एंटरप्राइजेज	25.4.23 से 30.4.23	सीबी - 313/ 11.07.24	7169	10720758	9085388	76575	13783
		1.5.23 से 31.5.23	सीबी - 432/ 11.8.23	9836	8689414	7363910	62066	11172
		जून 23	सीबी - 432/ 11.8.23	9836	8689414	7363910	62066	11172

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	बिल का महीना	बिल सं./ दिनांक	वाउचर सं.	बिल की सकल राशि (सेवा शुल्क और जीएसटी सहित)	बिल की राशि बिना जीएसटी @18% (सेवा शुल्क सहित)	जीएसटी सहित सेवा शुल्क (मेसर्स ईगल आई के लिए @ 0.5% तथा मेसर्स शिवानी एंटरप्राइज के लिए @ 0.85%)	अतिरिक्त जीएसटी का भुगतान (सेवा शुल्क पर 18% की दर से जीएसटी)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/1.18	(8)=[(7)/1.005]]* 0.005 (मेसर्स ईगल आई के लिए) =[(7)/1.0085]]*0.0085 (मेसर्स शिवानी एंटरप्राइज के लिए)	(9)=(8)*0.18
		जुलाई 23	सीबी - 518/ 14.9.23	12140	9122153	7730638	65157	11728
		अगस्त 23	सीबी - 583/ 04.10.23	13302	9090140	7703508	64928	11687
		सितम्बर 23	सीबी - 660/ 23.10.23	14769	8863225	7511208	63307	11395
		अक्टूबर 23	सीबी - 749/ 21.11.23	16644	9093203	7706104	64950	11691
		नवंबर 23	सीबी - 847/ 19.12.23	18417	8964927	7597396	64034	11526
		दिसंबर 23	सीबी - 918/ 18.01.24	20186	9483047	8036481	67734	12192
		फरवरी 24	सीबी - 1101/ 15.03.24	24147	8678212	7354417	61986	11157
		कुल						1,28,019

परिशिष्ट 4.1

(पैरा 4.2 में संदर्भित)

डी.सी. बिल जमा करने में देरी (दिल्ली अभिलेखागार)

क्रम सं.	अग्रिम बिल सं. और दिनांक	निकासी की राशि ₹ में	डी.सी बिल सं. और दिनांक के अनुसार निपटारा किया गया	निपटान में देरी
1	एसीबी-56 दिनांक 23.06.2022	8,401	डीसीबी-189 दिनांक 16.01.2023	177
2	एसीबी-67 दिनांक 08.07.2022	25,000	डीसीबी-209 दिनांक 17.02.2023	194

परिशिष्ट 4.2

(पैरा 4.2 में संदर्भित)

डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में देरी (मंडल आयुक्त, राजस्व विभाग)

क्रम सं.	अग्रिम बिल सं. और दिनांक	निकासी की राशि ₹ में	डी.सी. बिल सं. और दिनांक के अनुसार निपटारा किया गया	निपटान में देरी (दिनों की सं.)
1.	एसीबी-385, दिनांक 20.07.2022	91,53,403	डीसीबी-1301, दिनांक 29.03.2024	588
2.	एसीबी-534, दिनांक 26.09.2022	3,33,960	डीसीबी-1290, दिनांक 30.03.2024	521
3.	एसीबी-789, दिनांक 08.12.2022	29,40,000	डीसीबी-1061, दिनांक 26.02.2024	415
4.	एसीबी-1204, दिनांक 24.03.2023	38,760	डीसीबी-474, दिनांक 17.08.2023	116
5.	एसीबी-72, दिनांक 20.04.2023	1,10,000	डीसीबी-313, दिनांक 29.03.2024	314
6.	एसीबी-403, दिनांक 07.08.2023	41,611	डीसीबी-1308, दिनांक 30.03.2024	206

परिशिष्ट 4.3

(पैरा 4.2 में संदर्भित)

डी.सी. बिल जमा करने में देरी (सचिव-सह-आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता
मामले विभाग)

क्रम सं.	अग्रिम बिल सं. और दिनांक	निकासी की राशि ₹ में	डी.सी. बिल सं. और दिनांक के अनुसार निपटारा किया गया	निपटान में देरी
1	एसीबी-672, दिनांक 26.03.2020	155937	डीसीबी-131, दिनांक 24.05.2023	1124
2	एसीबी- 350 दिनांक 18.09.2020	913008	डीसीबी- 132, दिनांक 24.05.2023	948
3	एसीबी- 528 दिनांक 08.12.2021	31800000	डीसीबी- 148, दिनांक 02.06.2023	511
4	एसीबी-602 दिनांक 18.01.2022	68240	डीसीबी-308, दिनांक 11.09.2024	937
5	एसीबी- 623 दिनांक 28.01.2022	34120	डीसीबी-318, दिनांक 13.09.2024	929
6	एसीबी- 646 दिनांक 09.02.2022	593600	डीसीबी -149, दिनांक 02.06.2023	438

परिशिष्ट 4.4

(पैरा 4.2 में संदर्भित)

डी.सी. बिल जमा करने में देरी (गोबिंद बल्लभ अस्पताल)

क्रम सं.	अग्रिम बिल सं. और दिनांक	निकासी की राशि ₹ में	डी.सी. बिल सं. और दिनांक के अनुसार निपटारा किया गया	निपटान में देरी (एसीबी की तिथि-डीसीबी की तिथि-30 दिन)
01	एसीबी सं. 3944 दिनांक 25.01.2022	6908114	डीसीबी नं. 928 दिनांक 16.07.2024	873
02	एसीबी सं. 2413 दिनांक 10.09.2022	54620560	डीसीबी नं. 1759 दिनांक 10.09.2024	700
03	एसीबी सं. 3575 दिनांक 21.12.2022	20000	डीसीबी नं. 1100 दिनांक 28.06.2023	159
04	एसीबी नं. 4292 दिनांक 06.02.2023	23673372	डीसीबी नं. 1335 दिनांक 06.08.2024	517
05	एसीबी सं. 5535 दिनांक 29.03.2023	2712327	डीसीबी नं. 1355 दिनांक 07.08.2024	467
06	एसीबी नं. 1099 दिनांक 28.06.2023	40000	डीसीबी नं. 4002 दिनांक 06 02.2024	193
07	एसीबी सं. 3719 दिनांक 05.01.2024	3500	डीसीबी नं. 39 दिनांक 03.04.2024	59
08	एसीबी सं. 3720 दिनांक 05.01.2024	13400	डीसीबी नं. 38 दिनांक 07.04.2024	63
09	एसीबी सं. 4003 दिनांक 02.02.2024	40000	डीसीबी नं. 1476 दिनांक 14.08.2024	164

परिशिष्ट 4.5

(पैरा 4.5 में संदर्भित)

30 सितंबर 2024 तक बकाया खातों का ब्योरा

क्रम सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लंबित खाते कब से	30.09.2024 तक बकाया खातों की सं.
1	दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)	2021-22	3
2	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)	2014-15	1 ¹
3	दिल्ली कल्याण समिति (डीकेएस)	2022-23	2
4	दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए)	2020-21	4
5	डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय (एयूडी)	2023-24	1
6	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू)	2023-24	1
7	दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)	2022-23	2
8	दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू)	2022-23	2
9	डीटीसी ईपीएफ ट्रस्ट	2022-23	1
10	डीटीसी पेंशन ट्रस्ट	2022-23	1
11	इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटीडी)	2023-24	1
12	दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू)	2021-22	3
13	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू)	2018-19	5 ²
14	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी)	2022-23	2
15	दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (डीपीएसआरयू)	2021-22	3
	कुल		32

¹ डीयूएसआईबी के लिए केवल 2014-15 तक ही वार्षिक लेखा उपलब्ध है। इसलिए, केवल एक वर्ष के खातों को बकाया के रूप में लिया गया है।

² आईजीडीटीयूडब्ल्यू के लिए 2022-23 तक ही वार्षिक लेखा उपलब्ध है। इसलिए, पांच वर्षों के खातों को बकाया के रूप में लिया गया है।

परिशिष्ट 4.6
(पैराग्राफ 4.6 (ii) में संदर्भित)
ऋण एवं अग्रिम का बकाया

(र लाख में)

क्र.सं.	ऋणदाता का नाम	31 मार्च 2024 तक बकाया राशि			वह अवधि जिससे बकाया संबंधित है	लम्बित
		मूलधन	ब्याज	कुल		
1.	दिल्ली नगर निगम	3,75,226.83	4,32,108.01	8,07,334.84	1950-51	73 वर्ष
2.	दिल्ली जल बोर्ड	37,36,658.94	3,98,816.77	77,25,575.71	1998-99	25 वर्ष
3.	दिल्ली शहरी आश्रय निवेश बोर्ड	1,15,520.76	77,037.20	1,92,557.96	2011-12	12 वर्ष
4.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	315.05	0.00	315.05	1977-78	46 वर्ष
5.	दिल्ली एससी वित्तीय विकास निगम दिल्ली	6,875.52	4,233.63	11,109.15	1987-88	36 वर्ष
6.	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससीएल)	436.34	1,497.70	1,934.04	1998-99	25 वर्ष
7.	दिल्ली वित्तीय निगम	3,300.00	2,864.28	6,164.28	2015-16	08 वर्ष
8.	सहकारी संस्थाएं	61.33	241.83	303.16	1962-63	61 वर्ष
9.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	0.00	3,727.49	3,727.49	2018-19	05 वर्ष
10.	दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	3,32,639.00	4,47,459.55	7,80,098.55	2014-15	09 वर्ष
11.	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	4,355.92	4,355.92	2014-15	09 वर्ष
12.	इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल)	0.00	38,269.75	38,269.75	2012-13	11 वर्ष
13.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	225.00	1,179.90	1404.90	1979-80	44 वर्ष
14.	दिल्ली परिवहन निगम	11,67,614.46	69,08,946.62	80,76,561.08	1996-97	27 वर्ष
15.	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम	0.00	637.74	637.74	1973-74	50 वर्ष
16.	दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	141.73	695.77	837.50	2005-06	18 वर्ष
17.	इंडस्ट्रीज	8.39	344.99	353.38	1981-82	42 वर्ष
18.	इंद्रप्रस्थ सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)	48000.00	0.00	48000.00	2008-09	15 वर्ष
	कुल योग	57,87,023.35	1,19,12,517.15	1,76,99,540.50		

परिशिष्ट 4.7

(पैरा 4.6 (iii) में संदर्भित)

वित्त लेखाओं के विभिन्न विवरणों में निवेश पर संचयी आंकड़ों में बेमेल

क्र. सं.	विवरण क्रमांक 11 में विभिन्न लघु शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया निवेश	राशि (रु हजारों में)
1	4216.80.201-आवास बोर्डों में निवेश	3,00,200
2	4217.01.190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	70,000
3	4217.02.190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	35,07,500
4	4225.01.190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	2,34,887
5	4425.107-क्रेडिट कोऑपरेटिव्स में निवेश	4,852
6	4425.108-अन्य सहकारी समितियों में निवेश	1,557
7	4425.200-अन्य निवेश	4,531
8	4801.05.190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	7,10,67,800
9	4853.60.190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	31,800
10	4885.01.190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	1,73,500
11	5055.00.190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	14,16,26,142
12	5452.80.190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	2,43,181
2022-2023 के अंत में निवेश की संचयी राशि विवरण सं. 11 में दर्शाई गई है		21,72,65,950
विवरण सं.12 और विवरण 12 के अनुलग्नक में दर्शाई गई राशि		21,43,73,591
विवरण सं.12 में दर्शाए गए आंकड़े और विवरण सं. 11 में दर्शाए गए कुल निवेश के संचयी आंकड़े के बीच अंतर		28,92,359